[2021] 2 एस. सी. आर 770

गोवा राज्य और ए. एन. आर.

वी.

फौजिया इम्तियाज शेख और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 881)

12 मार्च, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 243 के-पंचायतों के लिए चुनाव-कानून सचिव

गोवा सरकार राज्य चुनाव आयोग (एस. ई. सी.) के रूप में नियुक्त

की शुद्धता-आयोजितः विधि सचिव की नियुक्ति

एस. ई. सी. के रूप में गोवा सरकार संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन है एस. ई. सी. को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य सरकार से स्वतंत्र हो क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है जो राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं में पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है-एस. ई. सी. की स्वतंत्रता को दिया गया महत्व कला के खंड (2) के परंतुक में किए गए अपने पद से हटाने के प्रावधान से स्पष्ट है। 243 के-इस तरह के एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संवैधानिक पद का अतिरिक्त प्रभार एक ऐसे अधिकारी को देना जो सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में है, संवैधानिक जनादेश का मजाक है-राज्य सरकार के एक कानून सचिव को दिया गया अतिरिक्त प्रभार

कला का संवैधानिक अधिदेश। 243 के-राज्य सरकार को एक स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त करके इस स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया गया है एस. ई. सी. जल्द से जल्द।

कलाएँ। 243 टी, 243 जेडए, 243 जेडजी-नगर परिषदों के चुनाव-द्वारा 11 नगर परिषदों के चुनावों को स्थगित करना

महीनों बाद, 04.02.21 पर, एस में संशोधन किया गया। 10 (1) अधिनियम जिसके द्वारा अधिसूचना जारी करने के लिए समय सीमा वार्डों के आरक्षण को तारीखों और चुनावों की घटनाओं की अनुसूची की अधिसूचना से कम से कम सात दिन पहले बताया गया था उसी दिन, 11 के लिए वार्डों के आरक्षण के लिए आदेश जारी किया गया था

770 गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख

नगर पालिका परिषद, नगर प्रशासक के निदेशक द्वारा-एस में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं लिखें। 10 (1) और 04.02.21 दिनांकित <ID2 पर अधिसूचना सुबह 9 बजे जारी की गई और गोवा पीठ को प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा 11 नगर परिषदों के लिए चुनाव शुरू हुए, इसके बाद 04.03.21 पर,

एस. ई. सी. द्वारा चुनावों की मूल अनुसूची में बदलाव करते हुए जारी अधिसूचना-उच्च न्यायालय ने 04.02.21 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया और निदेशक को 10 की अवधि के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी किया।

दिन; और एस. ई. सी. को चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए-हस्तक्षेप-आयोजितः नहीं बुलाया गया-उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में संवैधानिक बाधा को सही ढंग से नजरअंदाज कर दिया कि 04.02.2021 आदेश अवैध है और कला के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है। 243 टी आर/डब्ल्यू एसएस। 9 और अधिनियम एस. ई. सी. का 10 एक स्वतंत्र निकाय नहीं है जैसा कि Art.243K द्वारा अनिवार्य है।

लेकिन वह गोवा सरकार के कानून सचिव हैं-इस प्रकार, इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया शुरू में ही गलत थी-एसईसी ने खुद कोविड-19 के कारण दो बार नगरपालिका चुनावों को स्थगित कर दिया था महामारी-तथ्यों पर, दिनांकित 4.2.21 आदेश जारी करने से पहले विवेक का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता था-जब उच्च न्यायालय ने 22.02.2021 पर अंतिम सुनवाई के लिए 15.02.2021 पर नोटिस जारी किया, तो SEC ने उच्च न्यायालय को सूचित नहीं किया कि एक नोट के माध्यम से

05.02.2021 , चुनाव 20.03.2021 पर आयोजित करने का प्रस्ताव था-इसके अलावा, उच्च न्यायालय तक पहुँचने के एक स्पष्ट प्रयास में, एस. ई. सी. ने 9 बजे एक चुनाव अधिसूचना जारी कीः 00 सरकारी कार्यालयों के 9 बजे खुलने से पहले ही 22.02.2021 पर प्रातः: 30 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं की सुनवाई को रोकने के लिए एस. ई. सी. ने चुनाव-गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968-को पुनर्निर्धारित किया था। 9 , 10 और 22-चुनाव।

कला. 243 जेड. ए. (1)-नगर पालिकाओं के लिए चुनाव-प्रयोग की गई शक्तियाँ

राज्य निर्वाचन आयोग (एस. ई. सी.) द्वारा अनुच्छेद के अधीन। 243 जेडए (1)-आयोजितः नगरपालिकाओं के चुनावों का पूरा पर्यवेक्षण और संचालन है

एक संवैधानिक प्राधिकरण में निहित-एस. ई. सी.-एस. ई. सी. राज्य सरकार के साथ-साथ उन अधिकारियों को आदेश और निर्देश देता है जो चुनाव के पर्यवेक्षण और संचालन के लिए राज्य कानूनों के तहत स्थापित किए जाते हैं।

-

एस. ई. सी. उन अंतराल को भी भरता है जहां चुनाव के संचालन के दौरान किसी विशेष स्थिति को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या नियम नहीं है-एस. ई. सी. एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते न केवल राज्य सरकार और स्थानीय राज्य कानूनों के तहत अन्य अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाना है, बल्कि रिट कोर्ट यू/आर्ट्स से भी संपर्क किया जा सकता है। 226 और 227 या तो उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों को लागू करने या माँगने के लिए

उस ओर से उच्च न्यायालयों से उचित आदेश।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कलाएँ। 243 जेड. जी. (ए)/329 (ए)-चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक-परिसीमन और सीटों का आवंटन-आयोजित: बार

कला में निहित। 243 जेड. जी. (ए) परिसीमन और सीटों के आवंटन से संबंधित राज्य के कानूनों में हस्तक्षेप करने से सभी न्यायालयों को रोकने के लिए उसमें निहित गैर-अबाधित खंड के साथ मिलकर काम करता है, जैसा कि कला में निहित बार है। 329 (क)-सांविधानिक बार ऑफ आर्ट। 243 जेड. जी. (ए) केवल अदालतों पर लागू होता है न कि राज्य चुनाव आयोग पर।

कलाएँ। 243 जेड. जी. (ए), 243 जेड. ए.-नगरपालिका चुनाव-सेक्टस: कला के तहत। 243 जेडजी (बी), किसी भी नगरपालिका के लिए कोई चुनाव नहीं

जब चुनाव प्रक्रिया "निकट" होती है तो क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है-चुनावों के लिए अधिसूचना की घोषणा की जानी बाकी है-हालाँकि, यदि चुनाव की प्रगति को कम करने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक रिट अदालत की सहायता की आवश्यकता होती है। पूरा होने पर, रिट अदालत आदेश जारी कर सकती है-इसके अलावा, कला। 243 चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले के बाद जेडजी एक बार के रूप में काम नहीं करता है

उसके समक्ष एक चुनाव विवाद-इस प्रकार, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता यू/आर्ट। 226 और 227 और उच्चतम न्यायालय का यू/आर्ट। 136 प्रभावित नहीं है-कला के तहत। 243 जेड. ए. (1), यदि किसी प्राधिकरण द्वारा संविधान से पहले या उसके दौरान कोई संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन किया गया है।

चुनाव प्रक्रिया, एस. ई. सी. इस तरह के उल्लंघन को ठीक कर सकता है-एस. ई. सी. राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को संविधान या विधायी अधिनियम का पालन करने का निर्देश दे सकता है-यह इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए एक रिट अदालत से भी संपर्क कर सकता है-राज्य चुनाव आयोग के आदेश की न्यायिक समीक्षा की समीक्षा के आधार पर भी उपलब्ध है।

प्रशासनिक आदेश।

अपीलों का निपटारा करना और रिट याचिका को अनुमति देना,

अदालत

पकड़ना: 1.1 में निहित संवैधानिक बार

अनुच्छेद 243 जेडजी (ए) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। [पैरा 64] [845-एच]

अनुग्रह नारायण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 6 एस. सी. सी

303 [1996] 5 पूरक। एससीआर 719-पर निर्भर।

1.2 यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवादित फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए विवश है।

ऐसा इन मामलों के तथ्यों की निम्नलिखित विशेष विशेषताओं के कारण है:

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य चुनाव आयुक्त कोई और नहीं बल्कि गोवा सरकार का विधि सचिव होता है।

(ii) एस. ई. सी. ने स्वयं पूरे राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण दो बार नगरपालिका चुनावों को स्थगित कर दिया था। दूसरे अवसर पर, दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा, एस. ई. सी. ने स्वयं इन चुनावों को अप्रैल 2021 या चुनाव की तारीख तक स्थगित कर दिया था जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जाहिर है, "या चुनाव की तारीख जो आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है" अभिव्यक्ति अप्रैल, 2021 से आगे की तारीख का संकेत देगी, उस स्थिति को देखते हुए जिसमें गोवा राज्य कोविड-19 महामारी के कारण खुद को पाता है। यह महत्वपूर्ण है यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय पैराग्राफ 81 (ई) में निहित अपने निर्देश में एस. ई. सी. को इस अधिसूचना के अनुसार कार्य करने का निर्देश देता है ताकि चुनाव 15.04.2021 द्वारा आयोजित किए जाएं।

कि नगर परिषदों के वार्डों में आरक्षण के आदेश चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम से कम तीन सप्ताह पहले दिए जाएंगे। राज्य सरकार इन पर कार्रवाई करने के बजाय बयानों में, गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 में एक परंतुक जोड़कर एक संशोधन जोड़ा गया जिसमें एक कम अवधि का उल्लेख किया गया था, यानी कम से कम एक सप्ताह की अवधि।

(iv) शहरी विकास निदेशक को आरक्षण जारी करने का आह्वान करते हुए विधि सचिव का दिनांकित 05.02.2021 का पत्र।

गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत आदेश देना था

तो "एक प्रारंभिक तिथि पर"। निदेशक ने एक आदेश द्वारा इस संचार से एक दिन पहले यानी 04.02.2021 पर बिजली गिरने के साथ पारित किया। महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सभी 11 नगर परिषदों में आरक्षण के लिए प्रदान की गई गति ने उच्च न्यायालय को [2021] 2 एस. सी. आर. का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

कि इस तरह का आदेश जारी करने से पहले विवेक का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता था।

(v) तत्काल मामलों में सभी रिट याचिकाएं 9 से 12 फरवरी, 2021 के बीच दायर की गई थीं, जिन्हें तुरंत चुनौती दी गई थी।

निदेशक का आदेश दिनांकित 04.02.2021। इनमें से किसी भी रिट याचिका में ऐसी प्रार्थना नहीं थी जो किसी भी चुनाव कार्यक्रम को रोक सके। एकमात्र प्रार्थना उक्त आदेश को निरस्त करने की थी। ताकि निदेशक को एक नया आदेश जारी करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी के संवैधानिक जनादेश और गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 में निहित वैधानिक जनादेश का सही मायने में और ईमानदारी से पालन करना पड़े।

(vii) उच्च न्यायालय तक पहुँचने के स्पष्ट प्रयास में, राज्य चुनाव आयुक्त, जो कानून के अलावा और कोई नहीं है। गोवा राज्य के सचिव ने 9 बजे एक चुनाव अधिसूचना जारी की: 00 सरकारी कार्यालयों के 9 बजे खुलने से पहले ही 22.02.2021 पर प्रातः: 30 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं की सुनवाई को रोकने के लिए, जो सुबह 9 बजे रिट याचिकाओं की सुनवाई शुरू करता है।

(viii) उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 01.03.2021 पर निर्णय सुनाए जाने और कोई रोक नहीं दिए जाने के बाद, इस अदालत ने 04.03.2021 पर "नोटिस जारी किया" और विवादित फैसले पर रोक लगा दी, जिसका प्रभाव चुनाव कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना था।

जिसे 22.02.2021 पर अधिसूचित किया गया था। इसके बावजूद, राज्य चुनाव आयोग ने इसी दिन यानी 04.03.2021 दाखिल करने की समय अवधि बढ़ाकर उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन किया। 5 नगर परिषदों के लिए 10 के बीच 04.03.2021 से 06.03.2021 तक नामांकन: 00 13 बजे तक: 00 घंटे। और इसलिए, चुनाव को पुनर्निर्धारित किया गया। [पैरा 66] [846-एफ-एच; 847-ए-एच; 848-ए-ई]

2.1 भाग XV में निहित योजना को भाग IX-A में निहित प्रावधानों में शारीरिक रूप से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 243ZA (1) के तहत राज्य चुनाव आयोग-SEC द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां गोवा v का राज्य हैं।

फौजिया इम्तियाज शेख

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग में निहित लोगों के समान। नगरपालिकाओं के चुनावों का पूरा पर्यवेक्षण और संचालन एक संवैधानिक प्राधिकरण में निहित है जो एस. ई. सी. है जो राज्य सरकार के साथ-साथ उन प्राधिकरणों को आदेश और निर्देश देकर चुनावों की निगरानी और संचालन करता है जो पर्यवेक्षण और चुनाव के संचालन के उद्देश्य से राज्य कानूनों के तहत स्थापित किए गए हैं।

इस प्रकार, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति एस. ई. सी. को न केवल संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए दी गई शक्ति है, बल्कि उन अंतरालों को भरने के लिए भी है जहां चुनाव के संचालन के दौरान किसी विशेष स्थिति को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या नियम नहीं है। एस. ई. सी., एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते, न केवल राज्य सरकार और स्थानीय राज्य कानूनों के तहत अन्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जाना है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट अदालत से भी संपर्क कर सकता है ताकि या तो उसके द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों को लागू किया जा सके या उस ओर से उच्च न्यायालयों से उचित आदेश मांगे जा सकें। [पैरा 52] [832-सी-एफ]

मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त। (1978) 1

एस. सी. सी. 405 [1978] 2 एस. सी. आर. 272-पर निर्भर था।

2.2 जहाँ तक परिसीमन और सीटों के आवंटन का संबंध है, अनुच्छेद 243ZG (a) में निहित बार के साथ काम करता है -

संविधान के अनुच्छेद 329 (ए) में निहित अवरोधक की तरह, परिसीमन और सीटों के आवंटन से संबंधित राज्य के कानूनों में हस्तक्षेप करने से सभी न्यायालयों को रोकने के लिए गैर-अवरोधक खंड इसमें निहित है। [पैरा 53] [832-जी-एच]

लक्ष्मी चरण सेन बनाम। ए. के. एम. हसन उज्ज़मान (1985) 4 एस. सी. सी 689: [1985] 1 पूरक। एस. सी. आर. 493; इंद्रजीत बरुआ बनाम। भारत निर्वाचन आयोग (1985) 4 एस. सी. सी. 722 : [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 225; मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग, [1967] 1 एस. सी. आर. 400; एसोसिएशन। महू के निवासियों (रोम) बनाम। भारतीय परिसीमन आयोग (2009) 5 एस. सी. सी. 404: [2009] 5 एससीआर 384;

रामपाकवी रायप्पा बेलगली बनाम। बी. डी. जट्टी (1970) 3 एससीसी

147 : [1971] 2 एससीआर 611; यू. पी. राज्य बनाम प्रधान संघ क्षेत्र समिति 1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 305: [1995]

2 एससीआर 1015; अनुग्रह नारायण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 6 एस. सी. सी. 303: [1996] 5 पूरक।

एससी

आर 719; [2021] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम। टी. एन. राज्य (2020) 6

एससीसी 548-संदर्भित

2.3 नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में निर्णयों का अवलोकन निम्नलिखित परिणाम देगा।

I. अनुच्छेद 243 जेडजी (बी) के तहत, किसी भी नगरपालिका के लिए कोई चुनाव नहीं

किसी न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न में बुलाया जा सकता है जैसा कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक अनुच्छेद 243 जेड. जी. में निहित गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट अदालत को हस्तक्षेप करने से रोकना अनिवार्य है।

जब तक यह खत्म नहीं हो जाता। संवैधानिक बार केवल इस अवधि के दौरान काम करता है। इसलिए यह एक रिट अदालत द्वारा विवेकाधिकार का मामला है कि क्या चुनावी प्रक्रिया "आसन्न" होने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यानी, चुनावों के लिए अधिसूचना की घोषणा की जानी बाकी है।

II. हालाँकि, यदि चुनाव की प्रगति को कम करने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक रिट अदालत की सहायता की आवश्यकता है, तो

पूरा होने पर, रिट अदालत आदेश जारी कर सकती है बशर्ते कि चुनाव प्रक्रिया, एक बार शुरू होने के बाद, किसी भी तरह से स्थगित या लंबी नहीं की जा सकती है।

III. चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के बाद अनुच्छेद 243 जेडजी में निहित गैर-बाध्यकारी खंड एक प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है।

उसके सामने चुनाव विवाद। इस प्रकार, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है क्योंकि अनुच्छेद 243ZG में गैर-बाधा खंड केवल प्रक्रिया के दौरान संचालित होता है।

चुनाव से।

IV. अनुच्छेद 243ZA (1) के तहत, एस. ई. सी. तैयारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का समग्र प्रभारी है।

निर्वाचक नामावली, और सभी नगरपालिका चुनावों का संचालन। यदि चुनाव से पहले या उसके दौरान राज्य सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन किया जाता है। प्रक्रिया, एस. ई. सी. अनुच्छेद 243ZA (1) के तहत अपनी शक्ति के आधार पर

VI. अनुच्छेद 243ZA (2) यह स्पष्ट करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून, मामलों के संबंध में प्रावधान करती है। नगरपालिकाओं के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में, संविधान के प्रावधानों और विशेष रूप से अनुच्छेद 243 टी के अधीन है, जो सीटों के आरक्षण से संबंधित है।

VII. अनुच्छेद 243 जेड. जी. (ए) में निहित प्रतिबंध यह आदेश देता है कि रिट अदालत या किसी भी अदालत के पास न्यायिक अधिकार होने चाहिए।

निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या अनुच्छेद 243ZA के तहत बनाए गए या किए जाने वाले ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल उठाना। यह अनुच्छेद 243ZG में निहित गैर-अस्थाई खंड के आधार पर है। इसलिए परिसीमन और सीटों के आवंटन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे वैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए आदेशों पर अदालतों में सवाल उठाए जा सकते हैं बशर्ते कि संबंधित क़ानून ऐसे आदेशों को वैधानिक प्रावधान का दर्जा न दे।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VIII. परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित आदेशों को किसी भी चुनौती को, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना शामिल है, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना भी शामिल है, परिसीमन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से चुनौती दी जा सकती है।

निर्वाचन क्षेत्र और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन।

IX. अनुच्छेद 243 जेडजी (ए) का संवैधानिक प्रतिबंध केवल लागू होता है।

अदालतों के लिए, न कि राज्य चुनाव आयोग के लिए, जो मतदाता सूची की तैयारी का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराने के लिए है।

X. इस स्थिति का परिणाम यह है कि एस. ई. सी. का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए अवैध आदेशों का विरोध करे जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटें आवंटित करता है। यह एस. ई. सी. द्वारा चुनावी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान, उक्त प्रस्ताव में वर्णित अपने संवैधानिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। [पैरा 63] [843-ई-एच;

844 - ए-एच; 845-ए-जी]

भारत का चुनाव आयोग v. अशोक कुमार (2000) 8 एससीसी 216: [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 34-संदर्भित।

2.4 उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ किसी भी संवैधानिक बाधा की अनदेखी करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है

यह निष्कर्ष निकालना कि 04.02.2021 आदेश अवैध है और गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 और 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T के प्रावधानों के खिलाफ है। इस बात की कोई दलील नहीं थी कि महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण संविधान और गोवा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था। वास्तव में, अन्यथा भी, संविधान के अनुच्छेद 243 टी की अनिवार्य भाषा को देखते हुए, डिवीजन बेंच के फैसले में कोई गलती नहीं थी कि एक अंश को ऊपर की ओर काम करना होगा, चाहे वह अंश कुछ भी हो।

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है जो एक तिहाई से कम नहीं होगा। इसके अलावा, ओ. बी. सी. पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

धारा 9 (2) (बी. बी.) के अधिदेश का पालन नहीं करने वाले आरक्षण को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कई परिषदों में यह 27 प्रतिशत से कम था। सांगुएम में 1 एसटी सीट पर की गई टिप्पणियों और

घूर्णन के सिद्धांत के गैर-अनुप्रयोग के लिए भी यही बात लागू होती है। सॉलिसिटर जनरल का यह कहना सही था कि महाधिवक्ता द्वारा दिया गया आश्वासन कि राज्य सरकार गोवा बनाम के राज्य को नहीं उठाएगी।

फौजिया इम्तियाज शेख

अनुच्छेद 243 जेडजी (बी) के बार, लेकिन इसके बजाय तर्क देंगे कि चूंकि चुनाव कार्यक्रम "आसन्न" था और इस प्रकार, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कानून में स्थिति को बदल नहीं सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वकील द्वारा कोई भी रियायत संवैधानिक प्रतिबंध के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। [पैरा 64,65] [846-बी-एफ] 2.5 उच्च न्यायालय के आदेश का दो बदलावों के साथ पालन किया जाएगा। पैराग्राफ 81 (सी) में, यह स्पष्ट किया गया है कि 10 दिनों की अवधि जिसमें निदेशक, शहरी विकास को एक नया आदेश जारी करना है, इस फैसले की तारीख से 10 दिन होगी। साथ ही, पैराग्राफ 81 (ई) में आने वाले "15 अप्रैल" के बजाय, "30 अप्रैल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। अन्य सभी दिशाएँ बनी रहेंगी।

अव्यवस्थित। [पैरा 67] [849-ए-बी]

2.6 इन मामलों की सबसे परेशान करने वाली विशेषता अनुच्छेद में निहित संवैधानिक जनादेश का विध्वंस है।

243 भारत के संविधान का के। राज्य चुनाव आयुक्त को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य सरकार से स्वतंत्र हो क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है जो राज्य में पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है।

पंचायतें और नगरपालिकाएँ। राज्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता को दिया गया महत्व अनुच्छेद 243 के के खंड (2) के परंतुक में उनके पद से हटाने के प्रावधान से स्पष्ट है। जहाँ तक तरीका और जमीन का संबंध है

कार्यालय से उनके निष्कासन के संबंध में, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर माना गया है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संवैधानिक पद का अतिरिक्त प्रभार एक ऐसे अधिकारी को देना जो सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में है, संवैधानिक जनादेश का मजाक है। इसलिए, यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के विधि सचिव को दिया गया अतिरिक्त प्रभार संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 243 के। राज्य सरकार को जल्द से जल्द एक स्वतंत्र व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करके इस स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया गया है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो केंद्र या किसी राज्य सरकार में कोई पद या पद रखता हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अब से, भारत के कोने-कोने में अनुच्छेद 243 के के तहत नियुक्त सभी राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए जो [2021] 2 एस. सी. आर. के तहत किसी पद या पद पर आसीन व्यक्ति नहीं हो सकते हैं।

केंद्र या कोई भी राज्य सरकार। अगर ऐसे लोग हैं किसी अन्य राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त का पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों को तत्काल पद छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।

ऐसा पद और संबंधित राज्य सरकार इस उच्च संवैधानिक पद पर केवल स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त करके अनुच्छेद 243 के के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए बाध्य होगी। द.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के भाग IX और IXA के तहत चुनाव कराने वाले एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग के संवैधानिक आदेश का भविष्य में सख्ती से पालन किया जाए। [पैरा 68] [849-बी-एच]

लेखन याचिका (सिविल) सं. 309/2021

3. तत्काल रिट याचिका (सिविल) सं. 309/2021 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक निवासी द्वारा दायर की गई है। मडगांव, गोवा, दिनांकित 04.02.2021 आरक्षण आदेश को चुनौती देते हुए

नगरपालिका प्रशासन निदेशक, गोवा द्वारा जारी किया गया और अधिसूचना दिनांक 04.03.2021 जो गोवा एस. ई. सी. द्वारा चुनाव के मूल कार्यक्रम में बदलाव करते हुए जारी की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांकित 04.02.2021 आरक्षण आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और एक नए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करना होगा, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना को भी रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 69] [850-ए-सी]

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र [1952] एस. सी. आर. 218; दुर्गा शंकर मेहता

वी. ठाकुर रघुराज सिंह [1955] 1 एस. सी. आर. 267; हरि विष्णु कामत बनाम। सैयद अहमद इशाक [1955] 1 एससीआर

1104 ; नारायण भास्कर खरे (डॉ.) बनाम। भारत का चुनाव आयोग [1957] एससीआर 1081; किशनसिंह तोमर बनाम। नगर निगम। , अहमदाबाद (2006) 8 एससीसी 352: [2006] 7 पूरक। एससीआर 454; डब्ल्यू. बी. राज्य चुनाव आयोग बनाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (2018) 18 एससीसी 141 [2018] एससीआर 100; द्रविड़। मुनेत्र कड़गम बनाम। टी. एन. राज्य (2020) 6 एस. सी. सी. 548; लक्ष्मीबाई बनाम। कलेक्टर (2020) 12 एस. सी. सी 186; चुनाव

भारत आयोग बनाम। शिवाजी (1988) 1 एससीसी 277: [1988] 1 एस. सी. आर. 878; बेंडिक्ट डेनिस किनी बनाम।

टचूलिप ब्रायन स्टेट ऑफ गोवा बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख

मिरांडा और ओआरएस। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन 802; बोड्डुला

कृष्णैया और एक अन्य वी। राज्य चुनाव आयुक्त,

ए. पी. और अन्य। (1996) 3 एससीसी 416 [1996] 3 एससीआर 687;

कुरापति मारिया दास बनाम। डॉ. अम्बेडकर सेवा समाज,

(2009) 7 एससीसी 387: [2009] 6 एससीआर 498; दिग्विजय मोटे वी. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 175: [1993]

1 पूरक। एस. सी. आर. 553; कलाभारती विज्ञापन बनाम। हेमंत

विमलनाथ नरिचनिया और अन्य (2010) 9 एस. सी. सी. 437: [2010]

10 एस. सी. आर. 971-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1952] एससीआर 218

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 267

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 1104

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1957] एससीआर 1081

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2006] 7 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2018] एससीआर 100

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

(2020) 12 एस. सी. सी 186

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1988] 1 एससीआर 878

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1978] 2 एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[1985] 1 पूरक। एससीआर 493

पैरा 9,53

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 पूरक। एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 9,54

[1967] 1 एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 9,55

(2020) 6 एस. सी. सी. 548

संदर्भित किया गया है

पैरा 9,60

[1996] 3 एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2009] 6 एससीआर 498

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[1993] 1 पूरक। एससीआर 553

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

[2009] 5 एससीआर 384

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1971] 2 एससीआर 611

पैरा 57

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

पैरा 58 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 2 एस सी आर।

[2000] 3 पूरक। एससीआर 34

संदर्भित किया गया।

पै

रा 62

[1996] 5 पूरक। एससीआर 719

उस पर भरोसा करें

पै

रा 64

[2010] 10 एससीआर 971

पै

रा 66 (vii)

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णय: सिविल अपील

2021 की संख्या 881

उच्च न्यायालय के 01.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की रिट याचिका संख्या 86 में गोवा में बॉम्बे विश्वविद्यालय से।

के साथ

सिविल अपील सं। 882 , 883 , 884 , 885 , 886 , 887 , 888 , 889 , 890 , 891 ,

892 2021 और डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 309/2021

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, देवीदास पंगम, अधिवक्ता

जनरल, मुकुल रोहतगी, विनय नवारे, आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, पी. एस. नरसिम्हा, विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरुण आर. पेडनेकर, सुश्री मुक्ति चौधरी, शुभम प्रियोलकर, सुश्री

नीला गोखले, कुशल चौधरी, सुश्री हर्षल गुप्ता, सुश्री अन्न्या घोष, दत्तप्रसाद लावंडे, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, प्रदोष डांगुई, गौरववर्धन नाडकर्णी, जय मैथ्यू, सुश्री आरजू पॉल, आदिराज बाली, सुश्री दीप्ति आर्य, राघव शर्मा, इशांत अरोड़ा, सुश्री मिताली गुप्ता, आशीष कृष्णनाथ कुंकोलिनकर, निनाद लाउड, इवो डी कोस्टा, अभय अनिल अंतुरकर, एम. वी. मुकुंद, सुश्री अदिति त्रिपाठी, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिजीत कामत, अभिजीत गोसावी, इवो एमएस डी कोस्टा, साहिल टागोत्रा, विवेक जैन, सुश्री सुचित्रा कुंभत, निर्विकार सिंह, नितिन शर्मा, कार्लोस अल्वारेस फरेरा, डी. कुनानन, प्रशांत शिवराजन, उज्जवल। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. आई. ए. सं. एस. एल. पी. (सी) सं. में 35153/2021।

हस्तक्षेप के लिए आवेदन की अनुमति है। सभी विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. दीवानी अपीलों का वर्तमान समूह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है -

भारत के संविधान के भाग IXA में निहित प्रावधान। गोवा राज्य चुनाव आयोग ["एस. ई. सी".] ने चुनाव स्थगित करने का फैसला किया।

11 नगर परिषदों के लिए चुनाव जिनका कार्यकाल 04.11.2020 पर समाप्त होना था। चुनाव 18.10.2020, स्टेट ऑफ गोवा v पर होने वाले थे।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

जिन्हें गोवा राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए 18.01.2021 तक स्थगित कर दिया गया था। आई. डी. 1 पर, गोवा के राज्यपाल ने आई. ए. एस. के सदस्य, गोवा सरकार के विधि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जो कार्य विधि सचिव के रूप में उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त होने थे। दिनांक 05.11.2020 के एक आदेश द्वारा, शहरी विकास विभाग (नगर प्रशासन) द्वारा इन सभी नगर परिषदों के लिए नगर प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दिनांक 14.01.2021 की एक अधिसूचना द्वारा, गोवा एस. ई. सी. ने चुनाव को तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया, यानी अप्रैल, 2021 तक या चुनाव की तारीख जो आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। 3. आई. डी. 1 पर, गोवा राज्य ने आधिकारिक राजपत्र में गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968 ["गोवा नगरपालिका अधिनियम"] की धारा 10 (1) में एक संशोधन प्रकाशित किया, जिसके द्वारा वार्डों के आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी करने की समय सीमा चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों की अनुसूची के लिए अधिसूचना से "कम से कम सात दिन" पहले बताई गई थी। उसी दिन, नगर प्रशासन के निदेशक ने गोवा राज्य के भीतर 11 नगर परिषदों के लिए वार्डों के आरक्षण के लिए एक आदेश जारी किया। एस. ई. सी. द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि 05.02.2021 पर मतदाता सूची तैयार की गई थी और आगामी चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

4. इस बीच, दिनांकित 04.02.2021 आदेश से व्यथित होकर, गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 9 रिट याचिकाएं दायर की गईं।

उपरोक्त आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती देने के लिए 09.02.2021 और 12.02.2021 के बीच। एक अलग रिट याचिका द्वारा, डब्ल्यू. पी. No.92/2021 होने के कारण, धारा 10 (1) में संशोधन को भी चुनौती दी गई। यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए लंबित है, और इसे उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गई अन्य रिट याचिकाओं से अलग कर दिया गया है।

5. 15.02.2021 पर, रिट याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं और उच्च न्यायालय ने 22.02.2021 पर अंतिम निपटान के लिए मामलों को सूचीबद्ध किया। यह श्री नाडकर्णी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है एस. एल. पी. (सी) सं. 3937/2021 से उत्पन्न सिविल अपील में प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से, कि यह पार्टियों के बीच इस समझ के साथ किया गया था कि रिट याचिकाओं के निपटारे तक चुनाव अनुसूची को अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

6. आई. डी. 1 पर, जैसे ही गोवा की खंड पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई शुरू की, उसी तारीख की एक अधिसूचना, समय 9.00 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है।

21] 2 एस सी आर।

ए. एम., गोवा पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा 11 के लिए चुनाव नगरपालिका परिषदें शुरू हुईं। याचिकाओं को तब विद्वत खंड पीठ द्वारा लिया गया और सुना गया। दो निर्णय दिए गए, एक भारती डांगरे, जे. द्वारा और एक M.S.Sonak, जे. एच. एच. द्वारा।

कुछ विस्तार से प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और इस न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों पर चर्चा करते हुए, खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को निम्नानुसार अनुमति दी:

" 81. उपरोक्त तर्क के मद्देनजर, हम निम्नलिखित को पारित करते हैं

आदेश: (क) 2021 की रिट याचिका संख्या 515 (दाखिल करना) खारिज कर दी जाती है।

(ख) 2021 की रिट याचिका No.85,2021 की 86,87/2021,88/21,90/2021,91/2021,524/2021 (फाइलिंग) और 525/2021 (फाइलिंग) की अनुमति है। द्वारा जारी किया गया दिनांकित 04/02/2021 का विवादित आदेश

निदेशक और पदेन अपर सचिव, नगर निगम

प्रशासक/शहरी विकास, गोवा जहाँ तक इसका संबंध सांगुएम, मोरमुगाओ, मापुसा, मडगांव की नगर परिषद से है

और क्वेपेम को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। (ग) हम निदेशक और पदेन अपर सचिव, नगर प्रशासक/शहरी को निर्देश देते हैं।

विकास, गोवा उप-धारा 1 के तहत नई अधिसूचना जारी करेगा

धारा 9 आर/डब्ल्यू। गोवा की धारा 10 की उप धारा 1

नगरपालिका अधिनियम, 1968 आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

प्रत्यक्ष चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई

नगरपालिका परिषदों के लिए।

(घ) नए सिरे से शक्ति का प्रयोग करते हुए और हमारे निर्णय और आदेश में इंगित घोर अवैधताओं को सुधारते हुए, निदेशक

उसमें की गई हमारी टिप्पणियों को उचित महत्व दें।

(ई) गोवा राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि

निदेशक, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी किए जा रहे नगर परिषदों में सीटों के आरक्षण के आदेश पर चुनाव कार्यक्रम को शीघ्रता से अधिसूचित करें और राज्य चुनाव आयोग चुनाव की अनुसूची को इस तरह से संरेखित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

गोवा के अनुसार इसके विभिन्न चरणों को ठीक करके पूरा करें।

नगरपालिका (चुनाव) नियम, 1969 और 15 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले प्रक्रिया की समाप्ति।

(च) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

रुकने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था।

7. गोवा राज्य द्वारा 2021 का एस. एल. पी. (सी) No.3937 होने के नाते एक एस. एल. पी. दायर की गई थी, और इस न्यायालय ने अपने दिनांक 04.03.2021 के आदेश द्वारा, ध्यान दें:

" नोटिस जारी करें।

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री आत्माराम एन. एस. ने श्री तुषार मेहता की बात सुनी। नाडकर्णी, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री अभय अनिल अंतुरकर, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील, हम विवादित बने हुए हैं।

उच्च न्यायालय के साथ-साथ चुनाव आयोग की अधिसूचना का निर्देश जो उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में है।

दलीलें सुनवाई की अगली तारीख से पहले पूरी की जानी चाहिए।

मंगलवार, 9 मार्च, 2021 को सूची बनाएँ। विद्वान वकील को लिखित तर्क दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

इस बीच "।

8. इस तरह यह मामला आज हमारे सामने रखा गया है यानी 9.3.2021 पर। श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

गोवा राज्य की ओर से, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी, 243 जेडए, 243 जेडजी और गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9,10 और 22 पढ़ें। उपरोक्त अनुच्छेद संविधान के भाग XV को प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार, भाग XV पर इस न्यायालय के निर्णय अत्यंत प्रासंगिक हैं।

243 जेड. जी. (ए) आकर्षित हो जाता है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित 04.02.2021 का आदेश 243 जेड. जी. (ए) के उद्देश्यों के लिए एक "कानून" है, जो संवैधानिक प्रतिबंध को आकर्षित करता है। जो किसी भी न्यायालय को उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने से रोकता है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने मेघराज कोठारी बनाम पर बहुत अधिक भरोसा किया। परिसीमन आयोग, (1967) 1 एससीआर 400। अन्यथा भी, उच्च न्यायालय में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत

एक संवैधानिक अदालत को बाध्य नहीं कर सकता है जिसे चुनावी मामलों में एक संवैधानिक प्रतिबंध को प्रभावी बनाना चाहिए, और एक बार चुनाव अनुसूची अधिसूचित हो जाने के बाद, ऐसी चुनाव अनुसूची को पूरी तरह से न्यायिक हाथों से चुनौती दी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी तरह से, उपरोक्त चुनाव अनुसूची को विफल करने या स्थगित करने का होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भरोसा किया कि

अनुच्छेद 243 जेडजी (बी) में निहित संवैधानिक बार, और एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम जैसे कई मामलों के कानून पर निर्भर था। निर्वाचन अधिकारी,

नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, 1952 एस. सी. आर. 218, दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह, (1955) 1 एस. सी. आर. 267, हरि विष्णु कामत बनाम।

सैयद अहमद इशाक, (1955) 1 एससीआर 1104, नारायण भास्कर खरे (डॉ) बनाम। भारत का चुनाव आयोग, 1957 एससीआर 1081, मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त। , (1978) 1 एस. सी. सी. 405, लक्ष्मी चरण सेन बनाम ए. के. एम. हसन उज़्ज़मान (1985) 4 एस. सी. सी. 689, इंद्रजीत बरुआ बनाम। भारत निर्वाचन आयोग, (1985) 4 एस. सी. सी. 722, अनुग्रह नारायण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 6 एस. सी. सी. 303, भारत निर्वाचन आयोग बनाम। अशोक कुमार, (2000) 8 एस. सी. सी. 216, किशनसिंह तोमर बनाम। नगर निगम। , अहमदाबाद, (2006) 8 एस. सी. सी. 352, डब्ल्यू. बी. राज्य चुनाव आयोग बनाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (2018) 18 एस. सी. सी. 141, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम। टी. एन. राज्य, (2020) 6 एस. सी. सी. 548, लक्ष्मीबाई बनाम। कलेक्टर, (2020) 12 एससीसी 186। उन्होंने उन निर्णयों पर भी भरोसा किया जो अन्य संदर्भों में, उदाहरण के लिए सहकारी समितियों ने पोन्नुस्वामी के फैसले में किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रतिबंध के बिना भी स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि चुनाव को चुनौती देने का एकमात्र तरीका चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, एक चुनाव याचिका के माध्यम से है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 22 पर भरोसा किया, जिसमें उनके अनुसार, पूरे चुनाव को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त आधार थे।

10. एस. एल. पी. (सी) डायरी सं. 6385/2021 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने लक्ष्मी चरण सेन बनाम मामले में निर्णय का उल्लेख किया। ए. के. एम. हसन उज़्ज़मान (ऊपर) और विशेष रूप से कैसे एक के बारे में मार्ग

न्यायालय को उस स्तर पर चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसमें

चुनाव प्रक्रिया "निकट" है यानी शुरू होने वाली है। इसके बाद उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा किया। अशोक कुमार (ऊपर)

यह प्रस्ताव कि भले ही चुनाव प्रक्रिया के बाद कुछ दोष थे, इन दोषों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वे हमेशा चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका का विषय हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर भी बहुत अधिक भरोसा किया। शिवाजी, (1988) 1 एस. सी. सी. 277 और चंद्रचूड़ से पढ़ा गया, डब्ल्यू. बी. राज्य चुनाव आयोग बनाम. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (ऊपर) चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक न्यायिक हस्तांतरण की बात कर रही है।

11. एस. ई. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा ने किशनसिंह तोमर बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया।

नगर निगम। , अहमदाबाद (ऊपर) और अनुग्रह नारायण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (ऊपर) और इस तथ्य पर जोर दिया कि समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए जिनके लिए अकेले एस. ई. सी. प्रभारी हो। उन्होंने इशारा किया कि

कि एक विशाल मशीनरी स्थापित की जानी थी और गोवा V के राज्य के अनुसार स्थापित की गई थी।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

चुनाव अधिसूचना जो जारी की गई है, यदि विवादित निर्णय को दरकिनार नहीं किया जाता है तो इन सभी को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि

महिला आरक्षण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और यह कि बारी-बारी से सिद्धांत का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने दृढ़ता से वकालत की कि डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स सिद्धांत को इन स्थितियों पर लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब चुनाव प्रक्रिया पहले से ही चल रही हो। जहां तक गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 (2) (बी. बी.) द्वारा अनिवार्य रूप से ओ. बी. सी. आरक्षण 27 प्रतिशत से कम होने के आधार पर विवादित आदेश को रद्द करने के फैसले का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि फैसले से ही यह स्पष्ट हो गया है कि, हालांकि रिट याचिकाओं में नहीं उठाया गया था, न्यायाधीशों ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया और इस आधार पर भी आदेश को रद्द कर दिया।

13. एसएलपी (सी) संख्या 3937/2021 से उत्पन्न दीवानी अपील में प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आत्माराम नाडकर्णी ने कहा कि श्री मेहता और श्री रोहतगी दोनों ने गुण-दोष के आधार पर विवादित फैसले को चुनौती नहीं दी। वह भी था

यह बताते हुए दुख होता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, कोई परिसीमन आयोग नहीं था जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, लेकिन परिसीमन और आरक्षण का पूरा अभ्यास सरकार के एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए कि वर्तमान मामले में एस. ई. सी. एक स्वतंत्र निकाय नहीं था, बल्कि गोवा सरकार के विधि सचिव के माध्यम से कार्य कर रहा था, जिसके कारण दिनांक 1 का आदेश आया। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के पहले के दो फैसलों पर दृढ़ता से भरोसा किया जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष गंभीर बयान दिए गए थे कि राज्य सरकार अधिसूचना से कम से कम 3 सप्ताह पहले आरक्षण अधिसूचना जारी करेगी।

चुनाव के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बिजली की गति जिसके साथ एक दिन में सब कुछ किया गया था और जो था

महिलाओं/एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के आरक्षण के रूप में दिमाग का गैर-अनुप्रयोग और घूर्णन के सिद्धांत का संबंध था। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक एस. ई. सी. का संबंध है, कानून में द्वेष था, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में पाया गया है।

उच्च न्यायालय। पूर्ववर्ती खंड पीठों के समक्ष किए गए आश्वासनों के विपरीत, राज्य सरकार ने पहले गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया और उसके बाद विभिन्न श्रेणियों के लिए नगरपालिका वार्डों को आरक्षित करने के विवादित आदेश को प्रकाशित किया, और फिर कम से कम तीन सप्ताह तक प्रतीक्षा किए बिना चुनावों की घोषणा की। उच्च न्यायालय को नहीं बताया गया था कि 05.02.2021 पर ही एस. ई. सी. ने 20.03.2021 पर चुनाव कराने का मन बना लिया था। यदि इस तथ्य का खुलासा उच्च न्यायालय को किया जाता, तो वह रिट याचिकाओं पर बहुत पहले सुनवाई कर सकता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार के कार्यालय 9 बजे शुरू होते हैं: 30 सुबह 9 बजे एक अधिसूचना निकाली गई: 00 ए. एम. 22.02.2021 पर ताकि उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं की सुनवाई शुरू करने से रोका जा सके, जिसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हमारे दिनांकित 04.03.2021 के आदेश के बाद भी, गोवा एसईसी ने 04.03.2021 पर एक अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्धारित मूल समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, बल्कि 04.03.2021 से 06.03.2021 तक नामांकन दाखिल करने की समय अवधि बढ़ा दी गई और इस प्रकार चुनावों को पुनर्निर्धारित किया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अनुच्छेद 243 जेडजी (ए) और (बी) में निहित प्रतिबंध इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, जहां तक महिला आरक्षण का संबंध है, उच्च न्यायालय का निर्णय गुण-दोष के आधार पर सही था क्योंकि अनुच्छेद 243 टी के अनुसार -

कम से कम एक-तिहाई का आरक्षण, "होगा" शब्द का उपयोग करते हुए और "कम से कम नहीं" शब्दों का उपयोग करते हुए, यह स्पष्ट करता है कि एक अंश के मामले में, अंश को आकृति एक तक गोल किया जाना है। उन्होंने अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों पर भी भरोसा किया।

14. एसएलपी (सी) संख्या 4121/21 से उत्पन्न दीवानी अपील में पहले प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 243 के के तहत गठित एसईसी भारत के चुनाव आयोग के बराबर है। इसके लिए, उन्होंने विशेष रूप से, अनुच्छेद 243 के (2) में प्रावधान पर जोर दिया, जो यह स्पष्ट करता है कि

उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदल गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि एस. ई. सी. एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है जो यहां आयोजित चुनावों की देखरेख करता है। पंचायत और नगरपालिका स्तर। वर्तमान मामले में पूरी समस्या केवल इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि गोवा सरकार ने संविधान के इस जनादेश का उल्लंघन किया है जिसमें कानून सचिव को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जिससे गोवा राज्य बनाम गोवा राज्य बन गया है।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

एस. ई. सी. एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य नहीं कर रहा है और वास्तव में, गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूर्व-खाली करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने इस मामले के तथ्यों को दोहराया जैसा कि श्री नाडकर्णी ने बताया था और इसके अलावा, बेंडिक्ट डेनिस किनी बनाम पर भरोसा किया। टचूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन 802 इस प्रस्ताव के लिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत योग्य मामलों में उच्च न्यायालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, विशेष रूप से जहां अदालत की प्रक्रिया को एक गैर-कार्यशील गैर-स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा अतिक्रमण करने की मांग की जाती है।

15. एसएलपी (सी) नंबर 3937/2021 में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निनाद लाउड ने अनुग्रह में फैसले का हवाला दिया।

नारायण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (ऊपर) और इंगित किया कि गोवा नगरपालिका अधिनियम के तहत, जैसे कि उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत, जिस पर उस मामले में विचार किया गया था, परिसीमन, आरक्षण और सीटों के आवंटन के आदेशों में वैधानिक रूप से कानून का बल नहीं है, और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्णय मेघराज के मामले (उपरोक्त) को अलग करता है और वर्तमान मामले में निहित तथ्यों पर लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था कि निदेशक द्वारा दिनांकित वार्डों में सीटें आरक्षित करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने गोवा नगरपालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया जो विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि जब अंशों को ध्यान में रखा जाना है, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। इस तरह का प्रावधान गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 और 10 में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी में निहित संवैधानिक जनादेश का पालन करने के लिए आवश्यक है।

16. सभी पक्षों के विद्वान परामर्श को सुनने के बाद, विवादित पक्ष पर आने से पहले कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों पर जोर देना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान मामले में निर्णय। ज्ञानेश्वर नारसो नाइक बनाम। गोवा राज्य, डब्ल्यू. पी. नं. 179/2020, गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपने दिनांक 11.12.2020 के फैसले द्वारा (गोवा में जिला पंचायत चुनावों के संदर्भ में) निम्नानुसार दर्ज किया:

" 98. इस मामले में, एक और परेशान करने वाली विशेषता है। एस. ई. सी. द्वारा राज्य सरकार को 11.06.2019 से शुरू होने वाले बार-बार पत्रों और अनुस्मारकों के बावजूद राज्य सरकार को परिसीमन, आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवर्तन की कवायद को पूरा करने की आवश्यकता होती है, इस तरह की कवायद पूरी की गई और केवल [2021] 2 एस. सी. आर. को अधिसूचित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20.02.2020 पर, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए कि पहले की अवधि

संवैधानिक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के प्रावधानों का सम्मान करते हुए चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए बेहद अनिच्छुक हैं। XXX XXX XXX

101. इसके बाद, कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, 22 मार्च 2020 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव नहीं हो सके। 14.10.2020 पर, इस न्यायालय ने इन मामलों को 23.11.2020 से शुरू होने वाले सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया। अंतिम सुनवाई 24.11.2020 पर शुरू हुई। अंतिम सुनवाई के दौरान, 12.12.2020 पर मतदान की तारीख तय करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। एक बार फिर अब यह तर्क दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी है

इससे भी आगे, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार, विवादित अधिसूचना जारी करने में देरी करके, राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक समीक्षा की मांग करने के उचित अवसर से वंचित करने में लगभग सफल रही है। एक बार फिर, राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आरक्षण के संबंध में अधिसूचनाएं पहले क्यों जारी नहीं की गईं, भले ही एस. ई. सी. राज्य सरकार को इसे जारी करने के लिए लगातार याद दिला रहा था।

102. हालाँकि, विद्वान महाधिवक्ता ने अब एक बयान दिया है कि इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने के लिए उक्त नियमों के नियम 10 (1) के तहत कोई भी अधिसूचना जारी होने से कम से कम तीन सप्ताह पहले आरक्षण को अधिसूचित करने की कवायद की जाएगी। हमारे अनुसार मुश्किल से तीन सप्ताह की यह अवधि भी बहुत अधिक है। संक्षिप्त और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की यह कवायद उक्त नियमों के नियम 10 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले की जानी चाहिए। इसलिए हम राज्य सरकार को आरक्षण और/गोवा बनाम राज्य की अधिसूचना जारी करने का निर्देश देते हैं।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

या नियम 10 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले आरक्षित सीटों को घुमाना जिसके द्वारा चुनाव किया जाता है।

पंचायतों के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

17. इसी तरह, कुछ दिनों बाद, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने सुजय एस. लोटलिकर बनाम मामले में दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा। गोवा राज्य, एलडी वी. सी.-सी. डब्ल्यू.-359-2020, विशेष रूप से रिकॉर्ड किया गया:

" 5. आज, गोवा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता एक बयान देते हैं कि परिसीमन और आरक्षण के लिए अधिसूचनाएं अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी की जाएंगी, जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। नगरपालिका चुनाव के लिए अनुसूची।"

18. यह आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर कुछ वार्डों में नगरपालिका चुनावों से संबंधित है।

विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के समक्ष थे।

19. उच्च न्यायालय की दो खंड पीठों के समक्ष दिए गए महाधिवक्ता के बयान के विपरीत, राज्य सरकार ने गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया।

04.02.2021 , जिसमें तब प्रावधान किया गया था कि ऐसे आदेश आम चुनावों की अधिसूचना की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इस संशोधन के साथ, राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में विधि सचिव, शहरी निदेशक को दिनांकित 05.02.2021 संचार द्वारा

विकास, उपरोक्त निदेशक से गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत "जल्द से जल्द" एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया, जहां तक इस मामले में 11 नगर परिषदों का संबंध है, क्योंकि चुनाव 20.03.2021 द्वारा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्वव्यापी प्रभाव और बिजली की गति के साथ, निदेशक ने इस तारीख से एक दिन पहले इस अनुरोध का पालन किया, और महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सभी 11 नगर परिषदों में आरक्षण का प्रावधान किया। मामले को और खराब करने के लिए, एस. ई. सी. ने अदालत को यह खुलासा नहीं किया कि 05.02.2021 दिनांकित एक नोट के माध्यम से, चुनाव 20.03.2021 पर आयोजित किए जाने थे। इस प्रकार उच्च न्यायालय को सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया गया जब 9 और 12 फरवरी, 2021 के बीच दायर रिट याचिकाओं को 04.02.2021 आदेश को चुनौती देते हुए 15.02.2021 पर लिया गया और फिर 22.02.2021 पर अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया। मामले को और खराब करने के लिए, जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इन रिट याचिकाओं पर सुबह 9 बजे सुनवाई शुरू की, तो उसे 9 बजे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने वाली अधिसूचना प्रदान की गई: 00 ए.

एम. 22.02.2021 पर। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राज्य सरकार के कार्यालय केवल 9 बजे खुलते हैं:

एम. यह [2021] 2 एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन परेशान करने वाले तथ्यों की पृष्ठभूमि कि रिट याचिकाओं को तब उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 01.03.2021 पर लिया गया था और निर्णय लिया गया था।

20. दोनों न्यायाधीशों ने इस मामले में निर्णय दिए। भारती डांगरे, जे. का निर्णय इस प्रकार था:

" 5. प्रतिवादी द्वारा 04/02/2021 पर पारित आदेश के अनुसार, इस न्यायालय के समक्ष नौ रिट याचिकाएं दायर की गईं।

नहीं। 2 आगामी नगरपालिका चुनावों के उद्देश्य से नगर परिषदों के विभिन्न वार्डों में सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए एक चुनौती पेश करना। उक्त आदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं।

अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं और कथित तौर पर यह

गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के साथ शिकायत। उपरोक्त रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष 09/02/2021 से 12/02/2021 के बीच दायर की गई थीं और जब नोटिस आया तो उन्हें 15/02/2021 पर खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। अंतिम निपटान के लिए जारी किया जाए, जिससे यह 22/02/2021 पर वापस किया जा सके। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह इस समझ पर था कि 22 फरवरी 2021 तक, उत्तरदाता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं करेंगे। हालाँकि, 22 फरवरी 2021 को ही जब मामलों को अंतिम निपटारे के लिए लिया जाना था, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने चुनाव की घोषणा कर दी।

अनुसूची। वापसी योग्य तिथि पर हमने याचिकाकर्ताओं और विद्वान महाधिवक्ता के संबंधित वकील को सुना। विद्वान महाधिवक्ता श्री डी. पंगम ने यह भी प्रस्तुत किया कि

इस तरह की चुनाव अनुसूची जारी करने का आग्रह याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत से इनकार करने के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा यदि ऐसी राहत वास्तव में दी गई है। देय पाया गया। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं देनी चाहिए

चूंकि, याचिकाओं की स्थापना की तारीख को भी, चुनाव

XXX XXX XXX

13. एस. ई. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जोशी ने स्वीकार किया कि मोरमुगाओ और मापुसा नगर परिषदों में कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक तिहाई आरक्षित करने में विफल रहने पर निदेशक की ओर से संवैधानिक उल्लंघन हुआ है।

महिलाओं के पक्ष में। यह पूछे जाने पर कि क्या आयोग ने दोष को इंगित किया है, उनका जवाब नकारात्मक है।

वह स्टेट ऑफ गोवा बनाम प्रस्तुत करता है। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

कि आरक्षण का मुद्दा निदेशकों के दायरे में है और इसलिए, संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन के बावजूद, एस. ई. सी. असहाय है और उसके पास 4 फरवरी 2021 के विवादित आदेश के आधार पर चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और चूंकि इसे समय पर संचालन करने का कर्तव्य दिया गया है।

चुनाव। XXX XXX XXX

16. यह ध्यान देने योग्य है कि नोटिंग स्वयं समाधान प्रदान करती है, अपनाने के लिए तंत्र को सूचीबद्ध करके जो दर्शाता है कि चूंकि महिलाओं के लिए आरक्षण बारी-बारी से किया जाता है और 2015 में किए गए परिसीमन के बाद, बारी-बारी से तीन कार्यकालों में समाप्त होता है, जो 2015 से शुरू होता है और 2026 में समाप्त होने वाला है। 2015 और 2021 में महिला वर्ग के लिए पहले से ही प्रदान किए गए आरक्षण का खाका तैयार करने के बाद, समाधान यह है कि शेष वार्ड जो पिछले दो चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं, 2026 में आरक्षित किए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से, यह रुख अपनाया गया है कि अंश को पूरा करने के लिए, महिलाओं को अत्यधिक आरक्षण से बचने के लिए और इसलिए उपरोक्त समाधान के लिए सीट को बारी-बारी से तीन कार्यकालों में पूरा किया जाएगा।

हमें डर है कि क्या यह अनुच्छेद 243 टी के खंड 3 के इरादे के साथ-साथ राज्य विधान के जनादेश को पूरा करेगा, जिसका प्रभावी रूप से अर्थ होगा कि

प्रत्येक कार्यकाल के लिए नगर परिषद में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। संविधान के साथ-साथ नगरपालिका अधिनियम में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "कम से कम नहीं" या "कम से कम नहीं" होने से यह स्पष्ट होता है कि एक अंश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी अनदेखी करने से आरक्षण एक तिहाई से कम हो जाएगा और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होगा।

XXX XXX XXX

18. संविधान द्वारा और बाद में राज्य विधान में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने में उपरोक्त दर्शन को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम नं। 2 कानून के आदेश का उल्लंघन करता है। द.

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान सं। 2 आरक्षण को आगे बढ़ाना और तीन कार्यकालों के भीतर समायोजित किया जाना भी, हमारे अनुसार, [2021] 2 एस. सी. आर. के रूप में निहित जनादेश के उद्देश्य को विफल कर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 9 की उप-धारा 1 से जुड़े पहले परंतुक में, जिसका प्रत्येक परिषद में पालन किया जाना है, जिसका अर्थ है -

नगरपालिका क्षेत्र के लिए और एक निर्धारित कार्यकाल के साथ एक निगमित निकाय के रूप में अधिनियम के तहत गठित या गठित मानी जाने वाली परिषद। अंश भले ही 1/3 आरक्षण की गणना में बनाया गया हो, उसे पहले की ओर पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मूल्यवर्ग और गोल करने के लिए सामान्य सिद्धांत, जो है

तर्क और सामान्य ज्ञान के आधार पर; "यदि भाग आधा या उससे अधिक है, तो इसका मूल्य बढ़ाकर एक कर दिया जाएगा और यदि आधे से कम है तो मूल्य को नजरअंदाज कर दिया जाएगा", यहां लागू नहीं किया जा सकता है।

अशोक मानिकलाल हरकुट बनाम कलेक्टर, अमरावती और अन्य [1988 Mh.L.J.378], इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम की धारा 55 (1) और 55 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में कहा कि एक वैध अविश्वास प्रस्ताव होना चाहिए

तब पार्षदों का बहुमत दो-तिहाई होगा। इस प्रकार, जब प्रस्ताव पेश किए जाने के समय निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या 19 थी, केवल 13 पार्षदों का समर्थन, जो दो तिहाई से कम था, इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की पूर्ण पीठ और गणेश सुकदेव गुरुले बनाम के मामले में लिए गए विचार को दोहराया है। तहसीलदार सिन्नर और अन्य (2019) 3 एस. सी. सी. 211। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार-विमर्श के लिए मुद्दे में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 35 शामिल है, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक प्रावधान है और उक्त धारा की उप-धारा 3 कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता को दर्शाती है जो वर्तमान में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। "कम से कम नहीं" वाक्यांश का अर्थ लगाते हुए, शीर्ष न्यायालय के उनके अधिपत्यों ने इन तर्कों पर विचार करते हुए कहा कि जब अंश 5.33 आता है, तो इसे 5 से गोल किया जाना चाहिए:

'12 . उत्तरदाता द्वारा दबाव डाला गया अगला निवेदन यह है कि राउंड ऑफ के सिद्धांत को लागू करने के लिए 5,33 मतों को पाँच के रूप में राउंड ऑफ करना होगा। इस प्रकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बहुमत को स्वीकार करने के लिए पाँच वोट पर्याप्त हैं।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

कानून में स्पष्ट शब्द हैं अर्थात "सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दो-तिहाई नहीं" जो गोल करने के सिद्धांत को लागू करते हैं। 33 मतों को 5 नहीं माना जा सकता है। किसी व्यक्ति के वोट को अंश में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब बहुमत की गणना

यह एक मत के अंश के साथ आता है जिसे एक मत के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि मतों को अंश में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह सिद्धांत जो उससे कम है। 5 इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और इससे अधिक आंका जाना चाहिए। 5 एक के रूप में माना जाएगा, जो धारा 35 द्वारा निरूपित वैधानिक योजना में लागू नहीं है। का प्रावधान धारा 35 (1) जो पंचायत की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता का प्रावधान करती है, वही अभिव्यक्ति है जो उप-धारा (3) में उपयोग की गई है। जाहिर है, प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम एक तिहाई संख्या की आवश्यकता की गणना उन सदस्यों की कुल संख्या से की जानी चाहिए जो बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार, धारा 35 की उप-धारा (3) में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किए जाने के कारण, दोनों अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई किसी विशेष समय पर मतदान करने के हकदार सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। दो की गणना करते समय भी यही अर्थ लागू करना पड़ता है।

तीसरा बहुमत। '

उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के आलोक में, हम पाते हैं

कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण नं। 2 संवैधानिक जनादेश का सामना करते हुए, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना और इस हद तक 04.02.2021 का विवादित आदेश रद्द किया जा सकता है। इसी तर्क से, विवादित आदेश जो मडगांव नगर परिषद में 8 सीटें आरक्षित करता है जहाँ

भरने के लिए सीटों की कुल संख्या 25 है, इन्हें भी रद्द कर अलग रखा जाना चाहिए।

19. XXX XXX XXX

निदेशक ने संविधान के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान और दिनांक 04.02.2021 के विवादित आदेश का उल्लंघन किया है।

इसलिए इसे रद्द करने और कानून के अधिदेश का पालन नहीं करने के रूप में अलग रखने की आवश्यकता है।

23. जब निदेशक की कार्रवाई और मूक दर्शक के रूप में चुनाव आयोग के आचरण पर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है,

एक विशेष वार्ड में उक्त वर्ग का। (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 9 की उप-धारा 2 के खंड (बी. बी.) ने अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी सीटों से संबंधित व्यक्ति के लिए नगर परिषद के चुनाव में भरी जाने वाली सीटों की 27 प्रतिशत संख्या निर्धारित की है। परिषद में विभिन्न वार्डों को आरक्षण द्वारा आवंटित किया जाना है। हमारे समक्ष प्रस्तुत टिप्पणियाँ दर्शाती हैं कि उक्त अनुपात और गोवा बनाम के अन्य नगर परिषदों के राज्य का पालन करने में पूरी तरह से विफलता थी।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

जहाँ 27 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं, वहाँ अन्य नगर परिषदों में आरक्षण का अनुपात 20 प्रतिशत था जो कि वालपोई, पेरनेम और सांगुएम में था। शेष नगर परिषदों में, ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत 21 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक है।

व्यवधान या बाधा या किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन इसके विपरीत यह चुनाव की प्रगति को बाधित करता है और इसे पूरा करने में सुविधा प्रदान करता है। जिन 11 नगर परिषदों पर आरक्षण और आवर्तन की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है, उनमें से उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और यह सूचित किया जा रहा है कि इसका प्रशासन निम्नलिखित निकायों द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। प्रशासक। 14/01/2021 पर प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, एस. ई. सी. ने पहले ही चुनावों को तीन महीने की अवधि यानी अप्रैल 2021 तक या चुनाव की तारीख के लिए स्थगित कर दिया है जो आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। विवादित आदेश सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट को पारित करके

एस सी आर।

04/02/2021 पर आरक्षण निर्धारित किया गया है

प्रत्यर्थी संख्या 2 और 22/02/2021 पर निर्वाचन कार्यक्रम को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त के अवलोकन पर कार्यक्रम, यह स्पष्ट है कि यह 22 दिनों की अवधि का उपभोग करेगा

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 22/03/2021 पर परिणाम की घोषणा तक। चूंकि नगर परिषदें पहले से ही प्रशासक के प्रबंधन में हैं और चुनाव पूरा होने के लिए निर्धारित समय को चुनाव द्वारा बढ़ा दिया गया है

कमीशन 14/04/2021 तक, और तब से

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें जो लोकतंत्र की पहचान है, हम प्रतिवादी संख्या 2 को निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में नगर परिषद के वार्डों में सीटों के आरक्षण को फिर से निर्धारित करने का निर्देश देते हैं। यह कवायद आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी, जिससे एस. ई. सी. के पास चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त समय बचेगा और गोवा नगरपालिका चुनाव नियम, 1969 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक चरणों का पालन करते हुए 15/04/2021 से पहले चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें।

21. इसी तरह, M.S.Sonak, जे. ने एक सहमत निर्णय दिया।

एनजीः " 48. पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करना और

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोरमुगाओ नगर परिषद में आरक्षण की स्थिति के लिए यह अभिनिर्धारित करना होगा कि कुल 25 सीटों में से केवल आठ सीटों का आरक्षण - महिला आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है जो मोरमुगाओ नगरपालिका के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से भी कम है।

परिषद। इसी तरह, गोवा राज्य के मापुसा राज्य के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल 20 सीटों में से केवल छह सीटों का आरक्षण।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

नगरपालिका परिषद प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से भी कम आरक्षण के बराबर होती है। निदेशक ने संवैधानिक और वैधानिक दोनों का उल्लंघन किया है

महिलाओं के पक्ष में सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई, और उस हद तक 4 फरवरी 2021 के विवादित आदेश को रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता है। 49. एस. ई. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जोशी ने स्वीकार किया कि कुल राशि का कम से कम एक तिहाई हिस्सा आरक्षित रखने में विफल रहने पर निदेशक की ओर से संवैधानिक उल्लंघन हुआ है।

महिलाओं के पक्ष में मोरमुगाओ और मापुसा नगर परिषदों में सीटों की संख्या। हालाँकि, उन्होंने निर्देशों पर कहा कि एस. ई. सी. आरक्षण के मुद्दे से चिंतित नहीं है और इसलिए, संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन के बावजूद, एस. ई. सी. काफी असहाय है और उसके पास 4 फरवरी 2021 के विवादित आदेश के आधार पर चुनाव के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, चाहे ऐसा आदेश कितना भी दोषपूर्ण हो।

महिलाओं के पक्ष में कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई से भी कम स्थान आरक्षित करने में निदेशक की ओर से उल्लंघन। XXX XXX XXX 51। अनुच्छेद 243-टी में संवैधानिक प्रावधानों की निदेशक की "समझ" या उक्त अधिनियम की धारा 9 में वैधानिक प्रावधान विवादित आदेश को बनाए रखने का आधार नहीं हो सकते हैं।

निदेशक की समझ विद्वान महाधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया था, उसके विपरीत है। न तो संविधान और न ही उक्त अधिनियम निदेशक को "प्रत्येक नगरपालिका" में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक तिहाई को आरक्षित करने के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश का पालन करने के लिए तीन चुनावी कार्यकाल यानी 15 साल देता है।

संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान भी यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक कार्यकाल के लिए नगर पालिका या नगर परिषद में कम से कम एक तिहाई महिला पार्षद होनी चाहिए, ताकि नगर पालिका या परिषद को वैध रूप से गठित नगर पालिका या परिषद माना जा सके। 52. तीन किश्तों में संवैधानिक या वैधानिक जनादेश का पालन करने की यह समझ या सिद्धांत [2021] 2 एस. सी. आर.

15 वर्षों में निदेशक द्वारा अपनाया गया कुछ अनूठा उपकरण है

संविधान या उक्त अधिनियम। इस तरह का औचित्य न तो कानूनी है और न ही उचित है। इस तरह के औचित्य के आधार पर, 4 फरवरी 2021 के आदेश को बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं है। XXX XXX XXX

54. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि निदेशक की यह धारणा है कि संविधान और उक्त अधिनियम दोनों में यह प्रावधान है कि महिलाओं के पक्ष में आरक्षण एक से अधिक नहीं होना चाहिए

तीसरा, सीटों की कुल संख्या, जब वास्तव में, संविधान के साथ-साथ उक्त अधिनियम दोनों बिल्कुल विपरीत प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है कि निदेशक का मानना है कि मापुसा नगर परिषद में कुल 20 सीटों में से सात सीटों का आरक्षण "और अधिक" होगा। एक तिहाई आरक्षण के जनादेश का उल्लंघन करता है जो 20 सीटें हैं। निर्देशक की ऐसी समझ या छाप चेहरे पर उड़ती है

संवैधानिक और सांविधिक दोनों आदेश कि महिलाओं के पक्ष में कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आरक्षण एक-तिहाई से अधिक है तो संवैधानिक और सांविधिक जनादेश दोनों का उल्लंघन नहीं हो सकता है, लेकिन संवैधानिक और सांविधिक दोनों का उल्लंघन होगा।

यदि आरक्षण एक-तिहाई से कम है तो आदेश दें।

संविधान और उक्त अधिनियम, एक ही, को रद्द करना होगा और अलग करना होगा। तदनुसार, विद्वान महाधिवक्ता की पहली दलील कि निदेशक की समझ 4 फरवरी 2021 के विवादित आदेश के समर्थन में उचित है, को खारिज करना होगा। संविधान विशेष रूप से जो करने से मना करता है, उसे करने की कोई भी समझ को उचित समझ के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस पर आधारित कोई भी आदेश इसलिए समझ अंततः कमजोर होती है और इसे रद्द करना होगा और अलग रखना होगा।

XXX XXX XXX 59। उपरोक्त संदर्भ में, हम असहायता की सराहना नहीं करते हैं एस. ई. सी. द्वारा व्यक्त किया गया, जिसे गोवा सरकार से स्वतंत्र एक प्राधिकरण माना जाता है। भाग्यशाली

ऐसी परिस्थिति कि एस. ई. सी. विधि सचिव भी है, गोवा का सरकारी राज्य v.

63. यह तर्क कि चुनाव आसन्न होने पर रिट कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक असमर्थनीय आदेश या संवैधानिक या वैधानिक जनादेश के पेटेंट उल्लंघन का बचाव करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस मामले में, विद्वान महाधिवक्ता ने यह तर्क देने के अलावा कि निदेशक की "समझ" अनुचित नहीं थी, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 243-टी (3) या धारा 9 (1) में संवैधानिक जनादेश का पालन करने में निदेशक की विफलता के बचाव में एक भी तर्क का आग्रह नहीं किया। आम तौर पर, कम से कम प्रशंसनीय बचाव सामने रखा जाता है और तर्क यह है कि चुनाव प्रक्रिया के समापन तक विस्तृत निर्णय को स्थगित किया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले में एकमात्र तर्क यह था कि इस न्यायालय को व्यावहारिक सिद्धांत अपनाना चाहिए क्योंकि चुनाव निकट थे। "व्यावहारिक सिद्धांत" का विकास स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेशों को वैध या प्रतिरक्षित करने या पक्षों को एक उचित स्थिति बनाने में सक्षम बनाने के लिए नहीं किया गया है।

XXX XXX XXX 77. उपरोक्त का अर्थ है कि निदेशक द्वारा तैयार किए गए और उस पर भरोसा किए गए नोटिंग और उसके हलफनामे के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद है।

दिनांक 23 फरवरी 2021। नोट में अनुसूचित जनजाति की आबादी की एकाग्रता को संदर्भित किया गया है, जबकि हलफनामे में कहा गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का कोई आदेश नहीं है क्योंकि उन विशेष वार्डों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है। निदेशक ने इस हद तक कहा है कि याचिकाकर्ताओं के तर्क को संविधान या उक्त अधिनियम से कोई समर्थन नहीं मिलता है। हलफनामे में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि रोटेशन जनादेश का खुले तौर पर उल्लंघन क्यों किया गया है।

78. निदेशक द्वारा दायर हलफनामे और उनकी टिप्पणियों के बीच संबंध विच्छेद के आधार पर, आक्षेपित आदेश जहाँ तक वार्ड Nos.4 और 7 को एसटी के पक्ष में सुरक्षित रखता है, [2021] 2 एस. सी. आर. के जनादेश की अनदेखी करते हुए।

आरक्षित सीटों को बारी-बारी से अलग रखना होगा। इसके अलावा, विवादित अधिसूचना, जहाँ तक इसका संबंध मडगांव नगर पालिका से है परिषद को भी अलग रखना होगा क्योंकि

एक से कम आरक्षण का संवैधानिक और वैधानिक उल्लंघन

महिलाओं के पक्ष में तीसरी सीट।

79. निदेशक ने स्वीकार किया कि कोई नीति नहीं थी

जिसके आधार पर आरक्षण किया गया है या रोटेशन नीति लागू की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी नीति का अभाव है

अपनी सनक और इच्छाओं के आधार पर आरक्षण करने के लिए एक लाइसेंस के रूप में। अलग-अलग के संबंध में अलग-अलग मापदंड लागू किए गए हैं।

नगरपालिका परिषदें। इसके लिए भी कोई समान नीति नहीं है

समान परिषदों में आवर्तन जनादेश का कार्यान्वयन। कम से कम 11 परिषदों में आरक्षण देने की पूरी कवायद निदेशक द्वारा एक ही दिन में यानी 4 फरवरी 2021 को पूरी की गई थी और यहां तक कि विवादित आदेश भी उसी तारीख को जारी किया गया था। कम से कम प्रथम दृष्टया, ओ. बी. सी. के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 9 (2) (बी. बी.) के संशोधित प्रावधानों की भी पूरी तरह से अनदेखी की गई प्रतीत होती है। वह नोट जो एक है

4 तारीख को विवादित आदेश जारी करने के लिए पूर्ववर्ती

फरवरी 2021 को तैयार किया गया था और 4 फरवरी 2021 को ही जल्दबाजी में तैयार किया गया था और इसके तुरंत बाद कानून सचिव, जो एसईसी का पद संभाल रहे हैं, ने 22 फरवरी 2021 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया, भले ही ये याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी थीं और अंतिम निपटान के लिए 22 फरवरी 2021 को पोस्ट की गई थीं। इन कृत्रिम रूप से बनाई गई घटनाओं के आधार पर, पूरा बचाव व्यावहारिक सिद्धांत को आगे बढ़ाना और घोर अवैधताओं को नजरअंदाज करना था और

निदेशक द्वारा संवैधानिक और वैधानिक उल्लंघन।

80. उपरोक्त सभी कारणों से मैं सहमत हूं और अपनी बहन, माननीय श्रीमती के साथ शामिल होता हूं। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने 2021 की रिट याचिका संख्या 515 को छोड़कर सभी रिट याचिकाओं को अनुमति देने और संचालन जारी करने में दिशा निर्देश "।

22. इस तर्क ने तब अंतिम निष्कर्ष निकाला, जिसने, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, 04.02.2021 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया और

निदेशक, शहरी विकास को निर्णय की तारीख से 10 दिनों के भीतर निर्णयों में निहित टिप्पणियों को उचित महत्व देते हुए एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, एस. ई. सी. को चुनाव कार्यक्रम को नए सिरे से अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया 15.04.2021 पर या उससे पहले समाप्त हो जाए।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

23. संविधान के भाग IXA का शीर्षक था "नगरपालिकाएँ"

1 जून, 1993 से संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संशोधित। अनुच्छेद 243 पी "नगरपालिका क्षेत्र" को परिभाषित करता है और

निकपैलिटी "निम्नानुसार है:

243 पी. परिभाषाएँ। XXX XXX XXX

((घ) "नगरपालिका क्षेत्र" से नगरपालिका का क्षेत्रीय क्षेत्र अभिप्रेत है।

जैसा कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है; (ङ) "नगरपालिका" से स्वशासन की संस्था अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित;

XXX XXX XXX 24. नगरपालिकाओं को तब तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है -

ले 243 क्यू। पहला ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के लिए एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत है; दूसरा "छोटे शहरी क्षेत्र" के लिए नगरपालिका परिषद है और तीसरा, "बड़े शहरी क्षेत्र" के लिए एक नगरपालिका वक्तव्य इस प्रकार है:

243 क्यू. नगर पालिकाओं का संविधान।

(1) प्रत्येक राज्य में गठित किया जाएगा - (ए) एक नगर पंचायत (जो भी नाम से जाना जाता है) एक संक्रमणकालीन के लिए

क्षेत्र, अर्थात, एक ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण में एक क्षेत्र

(ग) एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार:

बशर्ते कि इस खंड के तहत एक नगर पालिका नहीं हो सकती है

राज्यपाल के रूप में ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके हिस्से में गठित क्षेत्र के आकार और नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए

एक औद्योगिक द्वारा प्रदान किया जा रहा है या प्रस्तावित किया जा रहा है

उस क्षेत्र में स्थापना और ऐसे अन्य कारक जिन्हें वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उचित समझे, एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

(2) इस अनुच्छेद में, "एक संक्रमणकालीन क्षेत्र", "एक छोटा शहरी क्षेत्र" या "एक बड़ा शहरी क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्यपाल,

क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो वह इस भाग के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. अनुच्छेद 243 टी महत्वपूर्ण है और नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है:

243 टी. सीटों का आरक्षण।

(1) प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, जितना हो सके, उतनी ही होगी। उस नगर पालिका में अनुसूचित जातियों की आबादी के रूप में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या

(2) खंड (1) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। (3) एक तिहाई से कम नहीं (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित)

जनजातियाँ) प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें

एक में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित किया जा सकता है

नगरपालिका।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित होंगे जैसे किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा,

प्रदान करें।

(5) खंड (1) और (2) के तहत सीटों का आरक्षण और खंड (4) के तहत अध्यक्षों (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा) के पदों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति।

(6) इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को बाधित नहीं करेगी।

किसी भी क्षेत्र में सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से

नगरपालिका या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालय

नागरिकों के पिछड़े वर्ग का समर्थन।

26. अनुच्छेद 243 यू (1) के तहत, प्रत्येक नगर पालिका, जब तक कि पहले किसी भी कानून के तहत भंग नहीं की जाती है, तब तक जारी रहेगी।

इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पाँच साल और अब नहीं। महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 243 यू (3) प्रदान करता है:

243 यू. नगरपालिकाओं आदि की अवधि।

XXX XXX XXX

(3) नगरपालिका के गठन के लिए एक चुनाव पूरा किया जाएगा, -

ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका का गठन करना। 27. अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए प्रावधान करता है

वीएस:

243 जेडए। नगरपालिकाओं के लिए चुनाव।

(2) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। 28. संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित प्रावधान करता है:

243 के. पंचायतों के चुनाव।

(1) राज्य के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण।

पंचायतें राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य चुनाव आयुक्त से मिलकर

राज्यपाल।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जैसे राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित करें:

बशर्ते कि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाएगा और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।

उनकी नियुक्ति के बाद।

(3) किसी राज्य का राज्यपाल, जब राज्य चुनाव आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाएगा, तो राज्य चुनाव के लिए उपलब्ध कराएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग को खंड द्वारा प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करें।

(1) . (4) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

29. यह ध्यान दिया जाएगा कि अनुच्छेद 243ZA (1) अनुच्छेद से मेल खाता है।

24 संसद के चुनावों से संबंधित भाग XV में निहित और

राज्यों के प्रतिनिधि निकाय। इसी तरह, 243ZA (2) अनुच्छेद के अनुरूप है।

328 उसी अध्याय में निहित।

30. अनुच्छेद 243ZG महत्वपूर्ण है और कहता है: 243 जेडजी। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

(क) परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता निर्वाचन क्षेत्र या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन, जो अनुच्छेद 243ZA के तहत किया गया या किया जाना अपेक्षित है,

किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाया गया;

(ख) किसी भी नगर पालिका के लिए कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका द्वारा और

जिस तरह से किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रावधान किया गया है

किसी राज्य का विधानमंडल।] यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुरूप है।

भाग XV में निहित।31. गोवा नगरपालिका अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इसकी धारा 8 से 10ए में निहित हैं:

आम मुहर, और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की शक्ति होगी, और अनुबंध करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से इसके मुख्य अधिकारी के माध्यम से मुकदमा दायर करें या मुकदमा दायर किया जाए।

9. परिषदों की संरचना।

(1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक परिषद में वार्ड चुनावों में चुने गए पार्षद शामिल होंगे। बशर्ते कि

(1) प्रत्येक परिषद में कम से कम (1/3) सीटें आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं के लिए;

(2) प्रत्येक परिषद में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित होगी, जैसा कि प्रावधान किया गया है।

उपखंड (2) में

(2) निदेशक समय-समय पर प्रकाशित एक आदेश द्वारा

प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के लिए आधिकारिक राजपत्र तय

(क) के अनुसार निर्वाचित पार्षदों की संख्या

निम्नलिखित तालिका:

वर्ग का

निर्वाचित लोगों की संख्या

पार्षदों

नगरपालिका क्षेत्र

(i) 'ए' वर्ग

निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या 20 होगी और नगरपालिका क्षेत्र या उसके हिस्से में 50,000 से अधिक के प्रत्येक 2500 मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित पार्षद होगा, ताकि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या

पार्षद 25 से अधिक नहीं होंगे।

((ii) 'बी' वर्ग

निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या 12 होगी और नगरपालिका क्षेत्र या उसके 10,000 से अधिक भाग में प्रत्येक 2500 मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित पार्षद होगा, ताकि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या

पार्षद 20 से अधिक नहीं होंगे।

((iii) 'सी' वर्ग

निर्वाचित पार्षदों की संख्या 10 होगी।

((ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो, ताकि ऐसी संख्या, -

लगभग जितना हो सके, निर्वाचित [2021] 2 एस. सी. आर. की संख्या के समान अनुपात।

अनुसूचित जातियों की आबादी के रूप में पार्षद,

नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को उस क्षेत्र की कुल आबादी का वहन करना पड़ता है और ऐसी सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें आवंटित की जाएंगी।

परिषद के विभिन्न वार्डों में बारी-बारी से।

(ख. अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो, ताकि

ऐसी संख्या परिषद में चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों की संख्या का सत्ताईस प्रतिशत होगी और ऐसी सीटें परिषद के विभिन्न वार्डों को बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।

निर्वाचित पार्षदों की संख्या का अनुपात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

नगरपालिका क्षेत्र उस क्षेत्र की कुल आबादी के बराबर है और ऐसी सीटें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी। एक परिषद में।

(3) उप-धारा (2) के तहत एक आदेश द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए सीटों के आरक्षण का प्रभाव तब समाप्त हो जाएगा जब उन जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा।

लोक सभा में भारत के संविधान के तहत प्रभाव समाप्त हो जाता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा

किसी ऐसी आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित जो पद की अवधि के दौरान पार्षद के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो, जिसके लिए वह केवल इस तथ्य के कारण विधिवत चुना गया था कि सीटों के आरक्षण का प्रभाव समाप्त हो गया है।

(4) उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आदेश आदेश की तारीख के तुरंत बाद परिषद के अगले आम चुनाव के प्रयोजनों के लिए प्रभावी होगा।

XXX XXX XXX

10. नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करना और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वार्डों का आरक्षण।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

(1) निदेशक समय-समय पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के लिए उन वार्डों की संख्या और विस्तार तय करेगा जिनमें ऐसे क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा। निदेशक आदेश में उस वार्ड को निर्दिष्ट करेगा जिसमें महिलाओं के लिए एक सीट आरक्षित है, लेकिन ऐसा करते हुए वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सीट समय-समय पर नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बारी-बारी से आरक्षित है। समान आदेश द्वारा वह उन वार्डों को निर्दिष्ट करेगा जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिसमें किसी विशेष वार्ड में उन जातियों, या जनजातियों की आबादी के केंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष के पदों के लिए सीटें भी शामिल हैं। (2) प्रत्येक वार्ड केवल एक पार्षद का चुनाव करेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश अगले आम चुनाव के तुरंत बाद के उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा।

इस तरह के आदेश की तारीख।

(4) इस धारा की कोई भी बात महिलाओं या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को रोकने वाली नहीं मानी जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिए किसी भी परिषद में सीटें आरक्षित हैं, चुनाव के लिए खड़े होने और किसी भी सीट पर निर्वाचित होने से जो आरक्षित नहीं हैं।

10 ए. परिषदों का चुनाव।

परिषद के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन गठित किया जाएगा।

गोवा पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 14) की धारा 237।

अनुच्छेद 243ZG (b)/329 (b) में निहित बार

32. इस विषय पर लोकस क्लासिकस एक प्रारंभिक निर्णय द्वारा है

न्यायालय जिसका असंख्य अवसरों पर पालन किया गया है। एन. पी. उस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र (ऊपर), एक याचिका के साथ जो मद्रास न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया गया था:

" अपीलार्थी उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने मद्रास विधान सभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सलेम जिले में नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र। 28 नवंबर, 1951 को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की जांच की।

एस सी आर।

विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र और

उसी दिन उन्होंने अपीलार्थी के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया।

जिन आधारों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सामग्री नहीं हैं इस अपील में उठाया गया मुद्दा। इसके बाद अपीलार्थी ने

उनके नामांकन पत्र को अस्वीकार करना और निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देना प्रकाशित होने वाले वैध नामांकनों की सूची में उनका नाम शामिल करना।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन को आधार पर खारिज कर दिया कि उसे वापसी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों के कारण अधिकारी

संविधान। इस अपील में अपीलार्थी का तर्क है कि

उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है, कि अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 329 (बी) से प्रभावित नहीं है

संविधान और यह कि वह में प्रमाण पत्र के एक रिट का हकदार था

मामले की परिस्थितियाँ "।

(पृष्ठ 221 पर)

33. इस न्यायालय ने तब संविधान के भाग XV को संक्षेप में प्रस्तुत किया

चुनाव इस प्रकार हैं:

" इस अनुच्छेद का अर्थ लगाने में, दोनों पक्षों द्वारा संदर्भ दिया गया था उसी में अन्य लेखों के लिए उनके तर्कों का पाठ्यक्रम

भागत: अनुच्छेद 324,325,326,327 और 328। अनुच्छेद 324

चुनाव के गठन और नियुक्ति का प्रावधान करता है

निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए आयुक्त

धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर; अनुच्छेद 326 प्रदान करता है वयस्क मताधिकार के लिए; अनुच्छेद 327 संसद को कानून पारित करने का अधिकार देता है

संबंधित या संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करना

विधायिकाओं के चुनावों के संबंध में, जिसके अधीन

संविधान के प्रावधान; और अनुच्छेद 328 एक पूरक है

राज्य विधान-मंडल को उपबंध करने की शक्ति देने वाला अनुच्छेद संबंधित या संबंधित सभी मामलों के संबंध में,

राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव। में एक उल्लेखनीय अंतर एक ओर अनुच्छेद 327 और 328 में प्रयुक्त भाषा और दूसरी ओर अनुच्छेद

329 दूसरी ओर, यह है कि जबकि पहले दो लेख के साथ शुरू होता है

शब्द "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन", अंतिम अनुच्छेद

"इसमें कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों के साथ शुरू होता है संविधान "। बार में यह स्वीकार किया गया कि गोवा बनाम के इस राज्य का प्रभाव।

भाषा में अंतर यह है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून

अनुच्छेद 327 के तहत या अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया जा सकता है

226 संविधान की उस अधिकारिता को इसके संबंध में बाहर रखा गया है -

अनुच्छेद 329 में उपबंधित मामले।

(पृष्ठ 224,225 पर)

34. इस अदालत ने कहा कि "चुनाव" को समझना होगा

आर अर्थ इस प्रकार है:

" इस परिच्छेद की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि

" चुनाव "संदर्भ के साथ उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है और किया गया है पूरी प्रक्रिया जिसमें कई चरण होते हैं और

कई चरणों को शामिल करता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं

प्रक्रिया के परिणाम पर असर डालना "।

(पृष्ठ 228 पर)

35. में निहित बार के विशिष्ट विवाद से निपटना

329 (बी) अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही को बंद करना, तब न्यायालय

" अब सवाल यह उठता है कि क्या इस देश में चुनाव का कानून इस बात पर विचार करता है कि चुनाव की कार्यवाही से जुड़े मामलों पर दो हमले होने चाहिए, एक जब वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करके चल रहे हैं (अदालतों की सामान्य अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है), और दूसरा चुनाव याचिका के माध्यम से पूरा होने के बाद। मेरी राय में, इस तरह की स्थिति की पुष्टि करना संविधान के भाग XV और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की योजना के विपरीत होगा, जो, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा लगता है कि कोई भी मामला जो चुनाव को दूषित करने का प्रभाव डालता है, उसे विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष उचित तरीके से उचित स्तर पर ही लाया जाना चाहिए और इसे किसी भी अदालत के समक्ष मध्यवर्ती स्तर पर नहीं लाया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के तहत

कानून, एकमात्र महत्व जो एक नामांकन पत्र की अस्वीकृति में इस तथ्य में शामिल है कि इसका उपयोग प्रश्न में चुनाव को बुलाने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है। अनुच्छेद 329 (बी) को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि किस तरीके से और किस स्तर पर इस आधार और अन्य आधारों पर चुनाव कराने के लिए कानून के तहत आग्रह किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह आवश्यक [2021] 2 एस. सी. आर. का अनुसरण करता है।

इस प्रावधान की भाषा से निहितार्थ है कि उन आधारों का किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य स्तर पर और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं किया जा सकता है। यदि उन आधारों को, जिनके आधार पर एक चुनाव को प्रश्न में बुलाया जा सकता है, प्रारंभिक चरण में उठाया जा सकता है और त्रुटियों, यदि कोई हैं, को ठीक किया जाता है, तो अनुच्छेद 329 (बी) जैसे प्रावधान को लागू करने और एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करने का कोई अर्थ नहीं होगा। लेख में उपयोग किए गए शब्दों के किसी भी अन्य अर्थ से विसंगतियां पैदा होंगी, जिन पर संविधान विचार नहीं कर सकता था, उनमें से एक यह था कि उच्च न्यायालय द्वारा मतदान से पहले और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। जो एक स्वतंत्र निकाय होना है, उस स्तर पर जब मामला उसके सामने लाया जाता है।

मुझे लगता है कि संविधान के भाग XV और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की योजना की संक्षिप्त जांच से पता चलेगा कि मैंने जो निर्माण का सुझाव दिया है वह सही है।

मोटे तौर पर, एक चुनाव तंत्र को संचालन में लाने से पहले, तीन आवश्यकताएं हैं जिनकी आवश्यकता होती है -

(1) चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने वाले कानूनों और नियमों का एक समूह होना चाहिए और यह तय किया जाना चाहिए कि इन कानूनों और नियमों को कैसे बनाया जाए; (2) एक कार्यपालिका होनी चाहिए जिस पर चुनाव के उचित संचालन को सुनिश्चित करने का कर्तव्य हो।

चुनाव; और (3) चुनावों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए एक न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए। लेख

327 और 328 इन आवश्यकताओं में से पहले से संबंधित है, अनुच्छेद 324 दूसरे के साथ और अनुच्छेद 329 तीसरी आवश्यकता के साथ। भाग XV के अन्य दो अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 325 और 326 सिद्धांत के दो मामलों से संबंधित हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने बहुत महत्व दिया है। वे इस प्रकार हैं: (1) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर मतदाता सूची तैयार करने या उसमें शामिल करने की पात्रता में भेदभाव के खिलाफ निषेध।

उनमें से; और (2) वयस्क मताधिकार। संविधान का भाग XV वास्तव में अपने आप में एक संहिता है जो उपयुक्त कानूनों को लागू करने और चुनाव के संचालन के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए संपूर्ण आधार प्रदान करती है।

(पृष्ठों पर 228-230)

" यह इंगित किया जा सकता है कि अनुच्छेद 329 (बी) को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए उस अनुच्छेद के खंड (ए) के पूरक। खंड (ए) गोवा बनाम राज्य को प्रतिबंधित करता है।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 327 और 328 के तहत बनाई जाने वाली ऐसी कानून के संबंध में अदालतों की अधिकारिता

मतदान की शुरुआत और अंतिम चयन के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालयों की। जो सवाल पूछा जाना है वह यह है कि विधायिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन केवल नामांकन से जुड़े मामलों को ही क्यों छोड़ना पड़ सकता था। संविधान। यदि संविधान का भाग XV अपने आप में एक संहिता है, यानी यह उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों को बाहर करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारों का सृजन करता है और उन्हें लागू करने का प्रावधान करता है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि संविधान ने चुनाव प्रक्रिया के एक छोटे से हिस्से को विषय बनाने के लिए छोड़ दिया है-उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय और इस तरह चुनाव की समय सारिणी को बाधित कर देता है। अधिक उचित दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 329 में सभी "चुनावी मामले" शामिल हैं।

जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(1) महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो विधायिकाओं को लोकतांत्रिक देशों में प्रदर्शन करना पड़ता है

हमेशा पहली महत्वपूर्ण बात के रूप में मान्यता दी गई है कि चुनाव जल्द से जल्द संपन्न किए जाने चाहिए।

समयबद्ध और सभी विवादास्पद मामले और सभी विवाद

चुनाव से उत्पन्न होने वाले मामलों को चुनाव के बाद तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। समाप्त हो गए हैं, ताकि चुनाव की कार्यवाही अनुचित न हो

इस देश के साथ-साथ इंग्लैंड में भी कानून का कोई महत्व नहीं है किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा होना चाहिए जो प्रभावित न करे

' चुनाव '; और यदि कोई अनियमितताएँ की जाती हैं जबकि यह है

प्रगति और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जिसके तहत

जिस कानून द्वारा चुनाव संचालित किए जाते हैं, उसका प्रभाव होगा

'चुनाव' को दूषित करना और प्रभावित व्यक्ति को कॉल करने में सक्षम बनाना यदि प्रश्न में, उन्हें एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए

चुनाव याचिका के माध्यम से और विषय नहीं बनाया जाए

चुनाव के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष विवाद। " "

(पृष्ठ 233,234 पर)

37. इस न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को खुला छोड़ते हुए

अनुच्छेद 226,227 और 136 के तहत अदालतें चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष एक विवाद का फैसला करने के बाद हैं, इस अदालत ने कहा:

" यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सवाल क्या है

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अदालत वह हो सकती है जो

उचित अवसर पर निर्णय लेना होगा।

(
पृष्ठ 237 पर)

38. शक्तियों के बारे में पोन्नुस्वामी के मामले में क्या खुला छोड़ दिया गया था

निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा दुर्गा शंकर मेहता बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले एक निर्वाचन याचिका पर निर्णय लेने के बाद अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का गठन किया गया। ठाकुर रघुराज सिंह, (ऊपर)। इस निर्णय में अनुच्छेद 329 (बी) में निहित गैर-अबाधित खंड की पहुंच का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

" जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुच्छेद 329 में गैर-बाध्यकारी खंड

संसद या किसी भी राज्य के चुनाव को चुनौती देने से रोकता है।

विधानमंडल, के खंड (2) में निर्धारित तरीके को छोड़कर

लेख। लेकिन इसकी शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के तहत उचित मामलों में

चुनाव के निर्णय या निर्धारण के खिलाफ संविधान

न्यायाधिकरण जो अन्य सभी न्यायिक न्यायाधिकरणों की तरह इसके अंतर्गत आता है

लेख का दायरा। यह निश्चित रूप से वांछनीय है कि निर्णय

विवादित चुनाव के मामलों पर, जितनी जल्दी हो सके, अंतिम और निर्णायक ताकि विधायिका का संविधान

स्पष्ट रूप से और जल्दी से जाना जाए। लेकिन अनुच्छेद के तहत शक्तियां

136 केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता है। द.

लेख निर्णयों के खिलाफ अपील करने का कोई सामान्य अधिकार नहीं देता है।

सभी न्यायाधिकरणों से। पोन्नुस्वामी मामले में इस अदालत के फैसले के संबंध में वी. निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र [1952 एस. सी. आर. 218] से

विद्वान वकील द्वारा कौन सा संदर्भ दिया गया है, हम करेंगे

केवल यह इंगित करने की इच्छा है कि इस मामले ने जो कुछ भी तय किया वह यह था कि

उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, अनुच्छेद 226 के तहत

संविधान, के आदेश के साथ प्रमाण पत्र के एक रिट द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी जिस पर गलत तरीके से अस्वीकार करने का आरोप लगाया गया था

किसी विशेष उम्मीदवार का नामांकन पत्र। यह माना गया कि

संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में "चुनाव" शब्द था

पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है, जिसका समापन होता है

एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा रहा है और गोवा राज्य की योजना v।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

संविधान का भाग XV यह था कि वे सभी मामले जिनमें

चुनाव को दूषित करने के प्रभाव को चुनाव के बाद ही सामने लाया जाना चाहिए।

चुनाव समाप्त हो गया था और एक चुनाव याचिका के माध्यम से। विशेष तौर पर

जिस बिंदु पर यहाँ विचार किया जाना चाहिए, उस पर निर्णय नहीं लिया गया था।

मामला और स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया था।

(पृष्ठ 274,275 पर)

39. इसी तरह, अनुच्छेद 329 (बी) की पहुंच पर चर्चा और

चुनाव याचिका पर निर्णय लेने के बाद संविधान की धारा 226

चुनाव न्यायाधिकरण पर तब हरि विष्णु कामत बनाम में चर्चा की गई थी।

अहमद इशाक, (ऊपर):

" अब, सवाल यह है कि क्या एक रिट एक कार्यवाही है जिसमें

चुनाव को उचित रूप से इसके भीतर प्रश्न में कहा जा सकता है

अनुच्छेद 329 (बी) का अर्थ लेख के एक सादे पढ़ने पर, क्या

इसमें दरकिनार करने के लिए कार्यवाही शुरू करना निषिद्ध है

प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा एक चुनाव ऐसा प्राधिकार और ऐसी रीति से जो उसमें उपबंधित हो। के लिए एक सूट

इस प्रावधान के तहत चुनाव को रद्द करने पर रोक होगी। में।

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र

[1952 एस. सी. आर. 218] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "चुनाव" शब्द अनुच्छेद 329 (बी) में एक व्यापक अर्थ में उपयोग किया गया था जिसमें शामिल थे:

चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक मुद्दे के साथ शुरू होती है

अधिसूचना और चुनाव की घोषणा के साथ समाप्त होना

प्रतिबंधित किया जाता है। ये मूल कार्यवाही के आह्वान के उदाहरण हैं। एक चुनाव पर सवाल उठाते हैं और यह अधिनियमित निषेध के भीतर होगा

अनुच्छेद 329 (बी) में। लेकिन जब एक बार कार्यवाही शुरू हो जाती है

चुनाव की प्रस्तुति द्वारा अनुच्छेद 329 (बी) के अनुसार

याचिका, उस लेख की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जाता है।

न्यायाधिकरण और निर्णय लिया कि क्या इसका निर्णय हमले के लिए खुला है, और यदि तो, कहाँ और किस हद तक, सामान्य द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

निर्वाचन न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध भी सक्षम होना। यह विचार कि अनुच्छेद 329 (बी) अपने संचालन में दीक्षा तक सीमित है

चुनाव को दरकिनार करने के लिए कार्यवाही और आगे की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट के लिए नहीं

एस सी आर।

न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद के चरण काफी हद तक हैं प्रबलित, जब प्रश्न को एक के संदर्भ में माना जाता है

उम्मीदवार, जिसका चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगर

न्यायाधिकरण, उसे किसी भी अर्थ में प्रश्न में बुलाने के लिए नहीं कहा जा सकता है चुनाव; दूसरी ओर, वह इसे बनाए रखना चाहता है। उनका आवेदन

इसलिए, अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा वर्जित नहीं किया जा सकता था। और अगर

पहले उत्तरदाता का विवाद अच्छी तरह से स्थापित है, परिणाम होगा

कि अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही एक में सक्षम होगी

घटना और दूसरे में नहीं और एक पक्ष के कहने पर और नहीं

दूसरा। पहले उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील असमर्थ था

कोई कारण बताएँ कि यह अंतर क्यों किया जाना चाहिए। हम नहीं कर सकते।

एक ऐसे निर्माण को स्वीकार करें जिसके परिणाम इतने विसंगत हों।

(पृष्ठ 1111,112 पर)

40. नारायण भास्कर खरे (डॉ.) बनाम। चुनाव आयोग

दिया (ऊपर), एक 7-न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति के चुनाव पर विचार किया

भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 71 के तहत निहित हैं। अदालत ने

" जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, अनुच्छेद 71 (1) इस न्यायालय को "राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों" की जांच करने और उनका निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करता है। सवाल यह है: क्या इस अनुच्छेद में या संविधान के किसी अन्य भाग में या कहीं और इस बात का कोई संकेत है कि ऐसी जांच कब की जानी है? सबसे पहले, अनुच्छेद 71 "राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के चुनाव" को स्वीकार करता है।

राष्ट्रपति "और ऐसे चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "चुनाव" शब्द का क्या अर्थ है? यदि हम अनुच्छेद

71 (1) में आने वाले "चुनाव" शब्द का वही व्यापक अर्थ देते हैं जो एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने वाली पूरी चुनाव प्रक्रिया को शामिल करता है, तो स्पष्ट रूप से जांच ऐसे पूर्ण चुनाव के बाद की जानी है, यानी किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद, जैसा भी मामला हो। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि इस स्वीकृत अर्थ को आलोचनात्मक शब्द को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 71 के खंड 3 के तहत, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के "चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित" किसी भी मामले को कानून द्वारा विनियमित कर सकती है।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

संबंधित या संबंधित मामलों को कवर करने के लिए समान रूप से व्यापक हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया के किसी भी चरण के साथ। शक्तियों के प्रयोग में

इसे अनुच्छेद 71 (3) द्वारा प्रदत्त, संसद ने अधिनियमित किया है

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय में। एक नज़र इस अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से यह इंगित करेगा कि

संसद इस न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग के लिए समय उससे या उससे उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच करें और उनका निर्णय लें।

राष्ट्रपति चुनाव के साथ संबंध पूरे चुनाव के बाद होता है

प्रक्रिया पूरी हो गई है।

(पृष्ठ 1088,1089 पर)

" उपरोक्त व्याख्या हमें अनुरूप प्रतीत होती है।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को इस अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। इससे पहले कि पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, तब संभवतः

पूरा चुनाव पाँच की समाप्ति के बाद तक आयोजित किया जा सकता है। वर्षों की अवधि जिसमें गैर-अनुपालन शामिल होगा

अनुच्छेद 62 के अनिवार्य प्रावधान। सर्वविदित सिद्धांत

चुनाव कानून, भारतीय और अंग्रेजी, यह है कि चुनाव नहीं होने चाहिए

उठा लिया।

और कि पीड़ित व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

सामान्य ब्याज के अवमूल्यन में अपने व्यक्तिगत हित को उजागर करें।

लोगों की, जिसके लिए आवश्यक है कि चुनाव से गुजरना चाहिए समय-सारणी के अनुसार। इसलिए, यह सामंजस्य में है

दोनों अनुच्छेद 62 के प्रावधानों के साथ और अच्छी समझ के साथ

कि अनुच्छेद 71 में प्रयुक्त "चुनाव" शब्द का अर्थ है पूरी प्रक्रिया

चुनाव "।

(पृष्ठ 1090

पर)

41. कृष्ण अय्यर का निर्णय, जे। मोहिंदर सिंह में निहित

वी. मुख्य चुनाव आयुक्त। (उपर्युक्त), बहुत महत्वपूर्ण है और न केवल अनुच्छेद 329 (बी) के मापदंडों को शामिल करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत लेकिन

पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और संचालन में चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लेख। इस न्यायालय ने एक अंतर किया

चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 226 के तहत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के खिलाफ चुनाव की प्रगति में हस्तक्षेप करता है

एस सी आर।

चुनाव के पूरा होने में तेजी लाने और चुनाव के लिए कार्रवाई करने के लिए अदालत। न्यायालय ने इसे इस प्रकार रखा:

" 28. अगर हम बड़े सम्मान के साथ ऐसा कहते हैं, तो इस स्पष्ट तर्क से जो बात सामने आती है, वह यह है कि कोई भी निर्णय मांगा और दिया जाता है।

यदि यह चुनाव की प्रगति को कम करता है और चुनाव को पूरा करने में सहायता करता है तो यह चुनाव को "प्रश्न में बुलाने" के बराबर नहीं होगा। "चुनाव की कार्यवाही को पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया गया है, उसे किसी भी तर्क के आधार पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

चुनाव "। इसी तरह, "एक कदम उठाए जाने" को गलत माना जाता है।

"चुनाव के समतुल्य" के रूप में चुनाव को आगे बढ़ाना।

हमारे सामने, पोन्नुस्वामी से प्राप्त प्रकाश के आलोक में सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के पुनः मतदान का आदेश "चुनाव की कार्यवाही को पूरा करने के लिए कुछ किया गया है" और क्या इससे पहले की कार्यवाही है। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाया या इसकी प्रगति को रोक दिया।

यह सवाल तुरंत उठता है कि क्या वर्तमान अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका में मांगी गई राहत चुनाव पर सवाल उठाने के बराबर है। यह, बदले में, इस बिंदु के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या मतदान को रद्द करना और नए सिरे से मतदान का पुनर्गठन करना है।

चुनाव "चुनाव का हिस्सा" है और इसे चुनौती देना "इसे प्रश्न में डालना" है। 30. अनुच्छेद 329 (बी) का पूर्ण प्रतिबंध दो सिद्धांतों पर आधारित है: (1)

पूरे के त्वरित इंजीनियरिंग की आकस्मिक तात्कालिकता

कानूनी माध्यम से मध्यवर्ती व्यवधानों के बिना चुनाव प्रक्रिया

बीच के चरणों और चरणों को चुनौती देने वाली कार्यवाहियाँ

प्रारंभ और समापन। (2) एक विशेष का प्रावधान

अधिकारिता जिसे एक पीड़ित पक्ष द्वारा लागू किया जा सकता है

चुनाव के अंत में अन्य रूप, अधिकार और उपाय शामिल नहीं हैं।

विधियों के निर्माता होने और संविधान द्वारा नियंत्रित होने के नाते।

दुर्गा शंकर मेहता ने इस स्थिति की पुष्टि की है और यह मानते हुए इसे पूरक बनाया है कि एक बार चुनाव न्यायाधिकरण ने निर्णय ले लिया है,

निषेध समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने की सर्वोच्च न्यायालय की समग्र शक्ति कार्य में आती है। हरि विष्णु में इस अदालत ने पोन्नुस्वामी में किसी भी कार्यवाही को छोड़कर नियम को बरकरार रखा, गोवा बनाम राज्य।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

चुनाव की चल रही प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 226 के तहत एक को शामिल करते हुए, घोषणा तक अधिसूचना के व्यापक अर्थ में समझा जाता है। घोषणा से परे चुनाव याचिका आती है, लेकिन न्यायाधिकरण के फैसले से परे अनुच्छेद का प्रतिबंध

329 ((b) बांधता नहीं है।

XXX XXX XXX

34 ..... लेकिन जो प्रतिबंधित है वह आयुक्त द्वारा किया गया या निर्देशित कुछ भी नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जो वह चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए करता है या निर्देश देता है, इसके विपरीत नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति द्वारा धारा 15 के तहत चुनाव कराने के बारे में राष्ट्र को सूचित करने और आयुक्त द्वारा धारा 30 के तहत चुनाव के लिए कैलेंडर प्रकाशित करने के बाद, यदि निर्वाचन अधिकारी केवल एक नामांकन स्वीकार करने का आदेश देते हैं या केवल वे जो अन्य दलों या निर्दलीयों से अलग एक पक्ष से आते हैं, तो वह आदेश तत्काल हमले से मुक्त है। हम नहीं सोचते हैं। क्योंकि आयुक्त एक चुनाव को रोक रहा है, इसे बढ़ावा नहीं दे रहा है और उस आदेश की अदालत की समीक्षा प्रवाह को सुविधाजनक बनाएगी, न कि धारा को रोकेगी। चुनाव, चाहे उसका अर्थ व्यापक हो या संकीर्ण, का अर्थ है संभावित बहुलता में से चुनाव, अखंड राजनीति हमारी प्रतिभा या वास्तविकता नहीं है, और यदि वह अवधारणा आयुक्त के निर्णय से पंगु हो जाती है।

अधिनियम, वह कोई चुनाव नहीं करता है "।

42. संविधान की धारा 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्ति से निपटना और ऐसी शक्ति की न्यायिक समीक्षा, एक संक्षिप्त अंश में कृष्ण अय्यर, जे। कहा गया:

कार्य. यह सच है कि अनुच्छेद 324 को संवैधानिक योजना और 1950 के अधिनियम और 1951 के अधिनियम के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। श्री राव इस हद तक सही हैं कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि सक्षम कानून बनाया जाता है जैसा कि अनुच्छेद 327 में कल्पना की गई है तो आयोग खुद को हिला नहीं सकता है अधिनियमित प्रिस्क्रिप्शन से मुक्त। आखिरकार, जैसा कि मैथ्यू, जे.

इंदिरा गांधी में देखा गया:

" भारती के मामले में बहुमत बनाने वाले कुछ न्यायाधीशों की राय में [केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225।] कानून का शासन एक बुनियादी संरचना है

लोकतंत्र से अलग संविधान।

कानून का शासन सरकार के पूरे दायरे में कानून की भावना की व्यापकता को इस अर्थ में प्रस्तुत करता है कि

किसी भी क्षेत्र में मनमाना आधिकारिक कार्रवाई को छोड़कर।

और आयोग पर वैध कानून की सर्वोच्चता स्वयं तर्क देती है। हमारे संविधान में कोई भी साम्राज्य नहीं है

प्रक्रिया "। 43. अंत में, अदालत ने अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया:

" 92. प्रसार, और भी अधिक विस्तृत चर्चा, एक निर्णय में निष्कर्ष की सटीकता को धुंधला करने की प्रवृत्ति रखता है और इसलिए यह पूरा होता है कि हम

सूत्रीकरणों को सारांशित करें। बेशक, हम जो संक्षिप्त बयान देते हैं वह सुविधा के लिए है, न कि इसकी प्रासंगिकता या क्षीणता के बहिष्कार के लिए। विस्तृत तर्क का बाध्यकारी प्रभाव। इस सीमित उद्देश्य के लिए, हम अपनी हिस्सेदारी निर्धारित करते हैं:

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

" (1) (क) अनुच्छेद 329 (ख) चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों द्वारा उठाए गए चुनावी कदमों को कानूनी चुनौती देने पर पूर्ण प्रतिबंध है। चुनाव की प्रक्रिया को परिणाम की औपचारिक घोषणा में इसकी परिणति तक ले जाने के लिए।

(ख) चुनाव, इस संदर्भ में, एक बहुत व्यापक अर्थ रखता है जो राष्ट्रपति की अधिसूचना से शुरू होता है जिसमें मतदाताओं से चुनाव करने का आह्वान किया जाता है और वापसी करने वाले उम्मीदवार की अंतिम घोषणा में समाप्त होता है। (2) (क) संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विचार करता है और चुनाव आयोग में चुनाव के संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक जिम्मेदारियां निहित करता है। इस जिम्मेदारी में परिस्थितियों के आधार पर कई प्रकार की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य, प्रशासनिक या अन्य शामिल हो सकते हैं।

(ख) इसके अभ्यास में इसके पूर्ण स्वरूप पर कम से कम दो सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, जब संसद या किसी राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है, तो आयोग ऐसे प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा, जिसका उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन जहां ऐसा कानून मौन है, अनुच्छेद 324 अभियान के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आगे बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति का भंडार है। दूसरा, आयोग कानून के शासन के प्रति उत्तरदायी होगा, ईमानदारी से कार्य करेगा और प्राकृतिक न्याय के मानदंडों के प्रति उत्तरदायी होगा, जहां तक ऐसे नियमों का यथोचित और वास्तविक रूप से पालन किया जा सकता है।

संवैधानिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निष्पक्ष कार्रवाई के रूप में इसकी आवश्यकता है। चुनाव। निष्पक्षता एक आयात करती है

यह देखने का दायित्व कि कोई भी गलत करने वाला उम्मीदवार अपनी गलती से लाभान्वित न हो। इस मामले को संदेह से परे रखने के लिए, प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा मिलता है

और पूर्ण पुनः मतदान के लिए क्रम के विशिष्ट मामले पर लागू होता है, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं बल्कि लचीली व्यवहार्यता में। इसका अनुपालन किया गया है या नहीं, इसे न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है। (3) चुनाव के विषय से संबंधित प्रावधानों का संदर्भ स्पष्ट रूप से इस नियम को व्यक्त करता है कि चुनाव के दौरान की गई हर गलती का एक उपाय है, हालांकि इसे चुनाव के बाद के चरण और प्रक्रिया के लिए स्थगित कर दिया गया है जैसा कि अनुच्छेद 329 (बी) और 1951 अधिनियम में कहा गया है। चुनाव न्यायाधिकरण के पास, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत, एक घायल उम्मीदवार को राहत देने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं यदि वह एक मामला बनाता है और शक्ति का ऐसा प्रक्रियात्मक विस्तार चुनाव सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के निर्देशों तक फैला हुआ है।

21] 2 एस सी आर।

चुनाव कराने के लिए आयोग या अन्य उपयुक्त एजेंसी

अवैधता और अन्याय को पूर्ववत करने और पूर्ण न्याय करने के लिए अधिकार क्षेत्र की पूर्ति के लिए मतपत्र या अन्य आवश्यक कार्य करना।

मौजूदा कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर।

44. बोद्दुला कृष्णैया और एक अन्य वी। राज्य चुनाव

आयुक्त, ए. पी. और अन्य। , (1996) 3 एस. सी. सी. 416, एक ग्राम पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय,

अंतरिम आदेशों द्वारा 94 व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का निर्देश दिया गया। बाद के अंतरिम आदेशों द्वारा, विभिन्न उत्तरदाताओं के दावों का पता लगाया जाना था, और अंततः, राजस्व मंडल अधिकारी ने 20 व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने के योग्य पाया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने कहा:

" 11. इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, हालांकि उच्च न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है या पहले ही उस पर विचार कर चुका है, चुनाव अधिकारी को कार्यवाही को रोकने या चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से संचालित करने का निर्देश देते हुए चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से जब चुनाव पहले ही हो चुका है जिसमें मतदाताओं को कथित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका गया था। जैसा कि देखा गया है, वह विवाद एक चुनावी विवाद के दायरे में आता है और इस प्रकार निवारण के लिए कानून में उपाय उपलब्ध है।

हालाँकि रिट याचिका बनाए रखने योग्य है। उच्च न्यायालय, रिट याचिका लंबित होने पर, चुनाव प्रक्रिया को रोकने का निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी अंतरिम आदेश द्वारा राहत के हकदार नहीं हैं, यह आदेश पराजित उम्मीदवार सहित किसी भी उम्मीदवार को चुनाव की शुद्धता का प्रचार करने से नहीं रोकता है। वे स्वतंत्र हैं, जैसा कि पहले कहा गया था, एक चुनाव याचिका के माध्यम से उपचार की मांग करने के लिए अधिनियम और नियमों में उपबंध किया गया है।

45. भारत के चुनाव आयोग बनाम. अशोक कुमार (ऊपर), इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ ने अनुच्छेद 329 (बी) और अनुच्छेद 226 से संबंधित पूरे मामले कानून की समीक्षा की।

" 28. चुनाव विवाद केवल दो दलों के बीच निजी नागरिक विवाद नहीं हैं। हालांकि गोवा बनाम का एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति राज्य हैं।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन इसके दांव पूरे निर्वाचन क्षेत्र पर मुकदमा चल रहा है। जिस तरह से भी हो

यह निर्वाचन क्षेत्र और आम तौर पर नागरिकों के भाग्य को प्रभावित करता है। निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वोपरि विचार के साथ एक ईमानदार दृष्टिकोण

बुलाया जाता है। न तो उत्पन्न हुए विवादों पर आंखें मूंद लें और न ही अत्यधिक उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका ग्रहण करें। चुनावी विवादों से निपटने में दो चरम सीमाओं से बचना होगा।

मामला कानून के आधार पर निष्कर्षों का एक उपयोगी सारांश तब अदालत द्वारा इस प्रकार दिया गया था:

" 31. संविधान के संस्थापकों ने सचेत रूप से "कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा" शब्दों का प्रयोग किया गया

धारा 329 (बी) के मुख्य भाग में और ये शब्द प्रदान करते हैं

अनुच्छेद 329 (बी) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए निर्धारक परीक्षण। यदि अदालत में प्रस्तुत याचिका "चुनाव पर सवाल उठाती है"

अनुच्छेद 329 (बी) का प्रतिबंध आकर्षित होता है। अन्यथा ऐसा नहीं है।

32. सुविधा के लिए अब हम आम तौर पर अपने

दोनों संविधान पीठों ने पहले जो कहा है उसे आंशिक रूप से दोहराते हुए और फिर निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुए जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ ऊपर हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए:

यदि एक चुनाव, (चुनाव शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जा रही है)

(1)

ताकि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से शुरू होने वाली सभी कदमों और पूरी कार्यवाही को शामिल किया जा सके। परिणाम की घोषणा) को प्रश्न में बुलाया जाना है और जो पूछताछ किसी भी तरह से चुनाव की कार्यवाही को बाधित करने, बाधित करने या विलंबित करने का प्रभाव डाल सकती है, न्यायिक उपचार के आह्वान को चुनाव के बाद तक स्थगित करना होगा।

चुनाव में कार्यवाही को पूरा करना।

(2)

माँगा गया और दिया गया कोई भी निर्णय "कॉल" के बराबर नहीं होगा।

प्रश्न में एक चुनाव "यदि यह चुनाव की प्रगति को कम करता है और चुनाव को पूरा करने में सहायता करता है। चुनाव की कार्यवाही को पूरा करने या आगे बढ़ाने के लिए किए गए किसी भी काम को चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(3)

उपरोक्त के अधीन, द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश चुनाव आयोग उच्च न्यायालय की रिपोर्टों पर न्यायिक समीक्षा के लिए तैयार है

तय किए गए मापदंड जो वैधानिक निकायों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं जैसे कि दुर्भावनापूर्ण या

शक्ति का मनमाना प्रयोग किया जा रहा है या वैधानिक निकाय को कानून के उल्लंघन में काम करते हुए दिखाया जा रहा है।

प्रगति को बाधित, बाधित या विलंबित किए बिना

(4)

चुनाव कार्यवाही में, न्यायिक हस्तक्षेप उपलब्ध है यदि अदालत की सहायता केवल के लिए मांगी गई है

चुनाव की प्रगति को सही या सुगम बनाएँ

कार्यवाही, उसमें बाधाओं को दूर करने के लिए, या सबूत के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को संरक्षित करने के लिए यदि वह खो जाएगा या

जब तक परिणाम घोषित किए जाते हैं तब तक नष्ट या अपरिवर्तनीय हो जाते हैं और इसके अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए चरण निर्धारित किया जाता है

अदालत।

(5)

अदालत को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी से काम लेना चाहिए।

किसी भी चुनाव विवाद पर विचार करते हुए, हालांकि अनुच्छेद 329 (बी) के प्रतिबंध से प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इसे लाया गया है। अदालत को चुनाव की कार्यवाही को रोकने, बाधित करने, रोकने या रोकने के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए। यह देखने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक याचिका दायर करके अदालत के अनुग्रह का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है जो बाहरी रूप से हानिरहित है, लेकिन अनिवार्य रूप से एक गुप्त या गुप्त लक्षय प्राप्त करने के लिए एक छल या बहाना है। अनावश्यक।

यह कहना कि चीजों की प्रकृति में न्यायालय अनिच्छा के साथ कार्य करेगा और कार्य नहीं करेगा, सिवाय एक स्पष्ट और मजबूत मामले के कि उसके हस्तक्षेप के लिए विवरण और सटीकता के साथ याचिकाओं को उठाकर बनाया गया है और

आवश्यक सामग्री द्वारा उसी का समर्थन करना।

46. कुरापति मारिया दास बनाम। डॉ. अम्बेडकर सेवा समाज,

(2009) 7 एस. सी. सी. 387, एक जाति प्रमाण पत्र की वैधता एक रिट याचिका में निर्धारण के लिए सामने आई जो दायर की गई थी जिसमें एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए नगरपालिका चुनावों को चुनौती दी गई थी। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा:

" 18. अनुच्छेद 243-जेड. जी. (बी) के तहत अधिकार क्षेत्र के बारे में विद्वान वकील श्री गगन गुप्ता ने कहा कि निर्णय

उच्च न्यायालय ने के. वेंकटचलम बनाम के रूप में भरोसा किया। ए. स्वामीकन [(1999) 4 एस. सी. सी. 526] लागू था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के मनोरंजन पर कोई रोक थी। विद्वान वकील ने समर्थन किया

उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रभाव के लिए अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्ष कि गोवा राज्य बनाम।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

अपीलार्थी एक ईसाई था और इसलिए, अनुसूचित जाति, विशेष रूप से, जाति "माला" से संबंधित व्यक्ति के दर्जे का दावा नहीं कर सकता था। 19. सबसे पहले, इस बात पर विचार करना बेहतर होगा कि क्या अनुच्छेद 243-जेडजी (बी) के तहत प्रतिबंध एक पूर्ण प्रतिबंध है। लेख में

इस प्रकार पढ़ता है:

" 243 - जेडजी। (ख) किसी भी नगर पालिका के लिए कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इसके कि उन्हें प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका द्वारा।

प्राधिकरण और ऐसी रीति से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाती है।

कम से कम खंड (बी) की भाषा से, यह स्पष्ट है कि बार निरपेक्ष है। आम तौर पर, जहां इस तरह की बार को नकारात्मक भाषा में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि यहां मामला है, यह माना जाना चाहिए कि खंड (बी) का स्वर अनिवार्य है और उसमें बनाई गई बार निरपेक्ष है।

20. इस न्यायालय ने अपने हाल के फैसलों में इस प्रतिबंध को पूर्ण माना है। इस तरह का पहला निर्णय है जसपाल सिंह अरोड़ा बनाम। एम. पी. राज्य [(1998) 9 एस. सी. सी. 594]। इस मामले में नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता के चुनाव को एक रिट द्वारा चुनौती दी गई थी

अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, जिसे याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने की अनुमति दी गई थी। इस निर्णय के पैरा 3 में न्यायालय ने कहा:

" 3. ..... यह स्पष्ट है कि उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई चुनाव याचिका के अलावा चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। द.

संविधान के अनुच्छेद 243-जेड. जी. में निहित चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अनुमति देने में स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। अनुच्छेद 243-जेड. जी. के तहत प्रतिबंध के अलावा, स्थापित सिद्धांतों पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप स्थापित करने के उद्देश्य से

एक तरफ नगरपालिका के लिए चुनाव नहीं बुलाया गया था क्योंकि

चुनाव याचिका के लिए वैधानिक प्रावधान "।

21. इस तरह का दूसरा फैसला गुरदीप सिंह का है। ढिल्लों बनाम। सतपाल [(2006) 10 एससीसी 616]। उस निर्णय में, अनुच्छेद 243-जेडजी (बी) को उद्धृत करने के बाद न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका दायर करने और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का शॉर्टकट

अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति नहीं थी और चुनाव को चुनौती देने के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय स्थानीय क़ानून के तहत चुनाव विवाद को उठाना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आंध्र प्रदेश नगरपालिका (चुनाव विवादों पर निर्णय) नियम, 1967 के नियम 1 में विशेष रूप से पार्षद या पार्षद के चुनाव को चुनौती देने का प्रावधान है। सभापति। यह तर्क देने की कोशिश की गई कि यह याचिका न केवल अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती देने के लिए थी, बल्कि यथास्थिति के लिए भी थी। यह तर्क स्पष्ट रूप से गलत है। जब हम उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को देखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है

कि चुनाव को चुनौती दी जा रही है। वास्तव में प्रार्थना खंड (बी) और (सी) यह सुझाव देने के लिए बहुत स्पष्ट हैं कि यह चुनाव है

अपीलार्थी जो चुनौती में है। ' " "

47. डब्ल्यू. बी. में राज्य चुनाव आयोग बनाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (ऊपर), पश्चिम बंगाल राज्य आयोग ने नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाने के कुछ निर्देश जारी किए, जिसके बाद उक्त आदेश को अगले दिन वापस ले लिया गया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक निर्णय दिया जिसमें विस्तार को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया गया और आयोग को नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के पालन में, एस. ई. सी. ने 21.04.2018 पर नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसके बाद रिट याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आखिरकार, ताज़ा होने के बाद

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं, एकल न्यायाधीश ने कोई और निर्देश देने से इनकार कर दिया, विशेष रूप से, कि एस. ई. सी. को पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक रूपों में दायर नामांकनों को स्वीकार करने के लिए बनाया जाए। डिवीजन बेंच ने अपील का निपटारा करते हुए एस. ई. सी. को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नामांकन स्वीकार करने का निर्देश दिया। जिन उम्मीदवारों ने उन्हें 3.00p.m पर या उससे पहले 23.04.2018 पर जमा किया था। पंचायत चुनाव अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 28. पंचायत चुनाव अधिनियम चुनाव के संचालन और विवादों के समाधान के संबंध में एक पूर्ण संहिता है। चुनाव की वैधता के बारे में। अनुच्छेद 243-के राज्य चुनाव आयोग में पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण सौंपता है। अनुच्छेद 243-0 का खंड (बी) इस प्रकार निर्धारित करता है:

" 243-0 . चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद

(ख) किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हो और उस तरीके से जो इसके द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई हो।

किसी राज्य की विधायिका "।

29. इस निवेदन में योग्यता है कि जो अनुशासन संविधान के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य है और इस विषय पर सक्षम राज्य कानून द्वारा लागू किया गया है, उसे बनाए रखा जाना चाहिए। चुनाव की वैधता के संबंध में किसी भी विवाद का समर्थन एक उपाय को अपनाकर किया जाना चाहिए जो कानून को ज्ञात है, अर्थात् एक चुनाव याचिका के माध्यम से। यह एक चुनाव याचिका की सुनवाई में है कि तथ्यात्मक विवादों को साक्षय के आधार पर हल किया जा सकता है। इस अदालत के फैसलों में इस सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है। बोद्दुला कृष्णैया बनाम। राज्य निर्वाचन आयुक्त। , ए. पी., (1996) 3 एस. सी. सी. 416, एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम में संविधान पीठ। निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, 1952 एस. सी. आर. 218 बनाम लक्ष्मी चरण सेन। ए. के. एम. हसन उज्ज़मान (1985) 4 एस. सी. सी. 689। पोन्नुस्वामी का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गया:

" 8. एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र इस अदालत की एक संविधान पीठ ने कहा था कि लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडलों को जो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है कि चुनाव समय सारिणी के अनुसार जल्द से जल्द संपन्न किए जाने चाहिए और सभी विवादास्पद मामले और उत्पन्न होने वाले सभी विवाद। चुनाव समाप्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए ताकि चुनाव की कार्यवाही अनावश्यक रूप से मंद या लंबी न हो। इस सिद्धांत के अनुरूप, चुनाव कानून की योजना यह है कि किसी भी ऐसी चीज को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो "चुनाव" को प्रभावित न करे; और यदि कोई अनियमितताएं की जाती हैं और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं जो उस कानून के तहत "चुनाव" को दूषित करने का प्रभाव डालेगी और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्न में बुलाने में सक्षम बनाएगी, तो उन्हें चुनाव याचिका के माध्यम से विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए और चुनाव के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

बाध्यकारी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

33. इन कारणों से, हमारा विचार है कि चुनाव की वैधता के संबंध में चुनौतियों में निर्विरोध सीटें

पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भी होना चाहिए पंचायत चुनाव अधिनियम की धारा 79 (1) के तहत चुनाव याचिकाओं में मुकदमा चलाया गया। हम पंचायत चुनाव अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार चुनाव याचिका के रूप में विवाद उठाने के लिए किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए इसे खुला छोड़ते हैं। अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि निर्विरोध सीटों के संबंध में चुनाव याचिका दायर करने के लिए 30 दिनों की अवधि परिणाम के प्रकाशन की तारीख से शुरू होगी।

आधिकारिक राजपत्र में "। 48. लक्ष्मीबाई बनाम में 3 विद्वान न्यायाधीशों का हालिया निर्णय।

सी. टी. ओ. आर., (ऊपर), घर के करीब आता है जब यह नगरपालिका के कार्यों से संबंधित होता है, और इस प्रकार है:

" 42. इस अदालत ने उठाने के संबंध में सवाल की फिर से जांच की हरनेक सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित विवाद। चरणजीत सिंह

[हरनेक सिंह बनाम। चरणजीत सिंह (2005) 8 एस. सी. सी. 383]। यह आयोजित किया गया था

निम्नानुसार:

“ 15. उपरोक्त प्रार्थनाएँ (बी) और (सी), स्पष्ट रूप से, प्रदान नहीं की जा सकती थीं [चरणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य, 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 1226] भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में। यह सच है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रकृति में विवेकाधीन होने के कारण नहीं हो सकता है अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए कि इसके लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। (संजना एम. विग बनाम देखें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन। लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 242)

16. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में कहा गया है कि सभी चुनाव विवादों का निर्धारण केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह अपने आप में न्यायिक समीक्षा को बाधित नहीं कर सकता है जो संविधान की मूल संरचना है, लेकिन आम तौर पर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक रिट याचिका पर विचार किया जाएगा लेकिन इस मामले में हम

वे उक्त प्रश्न से संबंधित नहीं हैं।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

17. सी. सुब्रमण्यम में [सी. सुब्रमण्यम बनाम। के.

रामांजनेयुलु, (1998) 8 एस. सी. सी. 703], तीन-न्यायाधीशों की पीठ

इस अदालत ने कहा कि एक रिट याचिका पर तब विचार नहीं किया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं था जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 12 के संदर्भ में एक चुनाव याचिका के आधारों में से एक था।

43. 1959 के अधिनियम की धारा 10-ए और 1961 के अधिनियम की धारा 9-ए, जिन्हें अनुच्छेद 243-के और 243-0 के साथ पढ़ा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं। निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि पीड़ित व्यक्ति का उपचार स्वीकार कर रहा है या किसी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार करना 1959 के अधिनियम की धारा 15-ए के तहत बनाए गए प्रतिबंध को देखते हुए एक चुनाव याचिका के माध्यम से है। उक्त अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो इसके लिए तंत्र प्रदान करता है।

चुनाव से संबंधित शिकायतों का निवारण जिसमें निहित है

1959 के अधिनियम की धारा 15। हालांकि उच्च न्यायालय अभ्यास करता है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र

भारत लेकिन ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रकृति में विवेकाधीन है और नहीं भी हो सकता है

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाए कि एक प्रभावी विकल्प

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-ओ। एक बार जब क़ानून द्वारा वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया जाता है, तो रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना एक उचित उपाय नहीं है। यह एक विवेकपूर्ण विवेक है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, विशेष रूप से चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद, लेकिन पार्टियों को क़ानून द्वारा विचार किए गए उपाय के लिए खारिज करना। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि, उच्च न्यायालय का आदेश कि अपीलार्थी ने तारीख को किए गए चुनाव खर्च को प्रस्तुत नहीं किया है

चुनाव किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग की शक्तियाँ

【 आर/डब्ल्यू 243 जेडए

49. भारत के चुनाव आयोग बनाम. शिवाजी, (ऊपर), यह

पोन्नुस्वामी के मामले को संदर्भित करने के बाद शक्तियों को संदर्भित किया गया

निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत इस प्रकार है:

" 6. ..... यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई त्रुटि हुई थी तो चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के अनुच्छेद 324 के तहत निहित शक्ति के आधार पर इसे ठीक करने का अधिकार था।

एस सी आर।

संविधान जैसा कि मोहिंदर सिंह गिल बनाम में तय किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त [(1978) 1 एससीसी 405] और यह देखने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया।

50. इसी तरह, दिग्विजय मोटे बनाम। भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने संविधान की धारा 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 8. चुनाव का संचालन चुनाव के हाथों में है

असम और जम्मू-कश्मीर राज्यों में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। 9. हालाँकि, यह कहना होगा कि यह शक्ति बेलगाम नहीं है। वैधानिक निकाय के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति अभी भी होगी।

सार्वजनिक कानून अधिकारों को प्रभावित करने वाले इसके कार्य।

XXX XXX XXX

14. परिणामी स्थिति यह है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 324 के तहत शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से समीक्षा योग्य नहीं है। द.

समीक्षा प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

मामला "।

51. किशनसिंह तोमर बनाम। नगर निगम। , अहमदाबाद क), इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से इन शक्तियों को निर्धारित किया है -संविधान के तहत चुनाव आयोगों को निम्नानुसार निर्दिष्ट करें -

" 22. हमारी राय में, संविधान में पूरा प्रावधान यह देखने के लिए जोड़ा गया था कि हर पांच साल में नई नगरपालिका के गठन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और इससे बचने के लिए

चुनाव की प्रक्रिया में देरी करने और नामित निकायों को जारी रखने की अनुमति देने के प्रावधानों को संविधान में उपयुक्त रूप से जोड़ा गया है। इस दिशा में यह सभी के लिए आवश्यक है

राज्य सरकारें राज्य चुनाव आयोग के महत्व को पहचानेंगी, जो एक संवैधानिक निकाय है और यह आयोग के निर्देशों का उसी तरह पालन करेगी जिस तरह से वह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करता है।

गोवा बनाम राज्य में। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

वास्तव में, इन निकायों के चुनावों के संचालन के लिए भाग IX और भाग IX-A के तहत पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों के क्षेत्र में उन्हें चुनाव के समान दर्जा प्राप्त है। भारत का आयोग।

23. अनुच्छेद 243-के और अनुच्छेद 243-जेडए (1) के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग के पास वही शक्तियां निहित हैं जो चुनाव आयोग के पास हैं। अनुच्छेद 324 के तहत भारत का आयोग। पूर्व प्रावधानों में शब्द बाद के प्रावधान के साथ समान सामग्री में हैं।

24. शब्द, "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" भी। क्योंकि इस न्यायालय द्वारा विशेष संदर्भ संख्या सहित कई निर्णयों में "चुनाव का संचालन" "व्यापक शर्तों" में किया गया है।

1 2002 का मामला [2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः (2002) 8 एस. सी. सी. 237] और मोहिंदर सिंह गिल मामला [मोहिंदर सिंह गिल बनाम।

मुख्य चुनाव आयुक्त। , (1978) 1 एस. सी. सी. 405] और सवाल यह है कि क्या यह राज्य की शक्तियों के संबंध में समान रूप से प्रासंगिक है।

राज्य निर्वाचन आयोग भी।

चुनाव के संचालन के संबंध में राज्य चुनाव आयोग अपने-अपने क्षेत्रों में भारत के चुनाव आयोग से कम नहीं है। ये शक्तियाँ, निश्चित रूप से, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के अधीन हैं। वही उक्त चुनाव आयोगों की पूर्ण शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

26. राज्य चुनाव आयोगों को सभी चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की अपनी शक्तियों के मामले में संबंधित राज्य सरकारों से स्वतंत्र रूप से कार्य करना है और पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और उनका संचालन करना।

27. अनुच्छेद 243-के (3) राज्य चुनाव आयोग के स्वतंत्र दर्जे को भी मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि एक अनुरोध पर

उस ओर से राज्यपाल राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

राज्य चुनाव में पूर्ण सहायता और सहयोग प्रदान करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं के बारे में आयोग के मूल्यांकन का सम्मान करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इसके अलावा, राज्य चुनाव आयोग के स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज के लिए, जहां वह महसूस करता है कि उसे संविधान में अनिवार्य समय के भीतर पंचायतों या नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में संबंधित राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, राज्य चुनाव आयोग के लिए पहले उच्च न्यायालयों से संपर्क करने का अधिकार होगा, और उसके बाद परमादेश या इस तरह के अन्य उपयुक्त रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार होगा।

संबंधित राज्य सरकार को राज्य चुनाव आयोग को सभी आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करने का निर्देश देना। बाद वाले
को संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में सक्षम बनाएँ।

52. इस तथ्य को देखते हुए कि भाग XV में निहित योजना शारीरिक है

भाग IX-A में निहित प्रावधानों को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 243ZA (1) के तहत SEC द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां वही हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग में निहित हैं।

भारत। जैसा कि मोहिंदर सिंह गिल (उपरोक्त) और उपरोक्त निर्णयों में बताया गया है, नगर पालिकाओं के चुनावों का पूरा पर्यवेक्षण और संचालन एक संवैधानिक प्राधिकरण में निहित है जो एस. ई. सी. है जो राज्य सरकार के साथ-साथ चुनावों की देखरेख और संचालन के उद्देश्य से राज्य कानूनों के तहत स्थापित अधिकारियों को आदेश और निर्देश देकर चुनावों की निगरानी और संचालन करता है। द. इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति एस. ई. सी. को न केवल संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए दी गई शक्ति है, बल्कि उन अंतरालों को भरने के लिए भी है जहां चुनाव के संचालन के दौरान किसी विशेष स्थिति को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या नियम नहीं है। एस. ई. सी., एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते, न केवल राज्य सरकार और स्थानीय राज्य कानूनों के तहत अन्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जाना है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट अदालत से भी संपर्क कर सकता है ताकि या तो उसके द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों को लागू किया जा सके या उस ओर से उच्च न्यायालयों से उचित आदेश मांगे जा सकें।

अनुच्छेद 243ZG (a)/329 (a) में निहित बार।

53. जहाँ तक परिसीमन और सीटों के आवंटन का संबंध है, अनुच्छेद 243 जेड. जी. (ए) में निहित बाधा सभी न्यायालयों को राज्य के साथ हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उसमें निहित गैर-बाधा खंड के साथ मिलकर काम करती है।

परिसीमन और सीटों के आवंटन से संबंधित कानून, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 329 (ए) में निहित है। लक्ष्मी चरण सेन बनाम। ए. के. एम. हसन उज़्ज़मान (ऊपर), चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश। बोलना

इस न्यायालय की संविधान पीठ के बहुमत के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गोवा राज्य बनाम।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची बनाना स्वतंत्र है

किसी विशेष चुनाव की प्रक्रिया और इस प्रकार आयोजित:

" 27. ..... रामपाकवी रायप्पा बेलगली [(1970) 3 एस. सी. सी. 147] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1950 के अधिनियम की योजना और इसके प्रावधानों की व्यापकता से पता चलता है कि एक मतदाता सूची में की गई प्रविष्टियां

निर्वाचन क्षेत्र को केवल इसके अनुसार चुनौती दी जा सकती है

अधिनियम द्वारा प्रदान की गई मशीनरी और किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य मंच के समक्ष नहीं, जब तक कि संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई सवाल शामिल न हो। मोहिंदर सिंह गिल [(1978) 1 एस. सी. सी. 405] में, कृष्ण अय्यर, जे. ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, के दायरे और अर्थ पर बहुत विस्तार से विचार किया है।

संविधान का अनुच्छेद 329 (बी)। उस लेख को "चीन की महान दीवार" बताते हुए विद्वान न्यायाधीश ने सवाल उठाया

क्या यह इतना अभेद्य है कि इसे अनुच्छेद 226 द्वारा भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए कि "कुल प्रक्रिया के शुरू से अंत तक का हर कदम 'चुनाव' का गठन करता है, न कि केवल निष्कर्ष या अंत।

पराकाष्ठा ", निर्णय इस प्रकार समाप्त होता है:

" संचालन का इंद्रधनुष, शानदार द्वारा कवर किया गया

अभिव्यक्ति चुनाव ', इस प्रकार प्रारंभिक से शुरू होता है

अधिसूचना और एक उम्मीदवार की वापसी की घोषणा में समाप्त होता है।

28. हमने यह विचार व्यक्त किया है कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है।

विशेष रूप से चुनाव। इस दृष्टिकोण के साथ, यह मानना मुश्किल हो सकता है कि मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन अनुच्छेद 329 (बी) के अर्थ के भीतर "चुनाव" का एक हिस्सा है। शायद, जैसे कि

हैल्सबरी में पोन्नुस्वामी [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64] में निकाले गए अंश में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को होना चाहिए

प्रश्न निर्धारित करने के लिए विचार किया जाता है कि क्या कोई विशेष

उस मामले में मंच को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा कहा जा सकता है। उस स्थिति में, एक प्रस्ताव तैयार करना मुश्किल होगा जो

यह सभी मामलों पर समान रूप से लागू होगा।

54. इस फैसले के बाद एक अन्य संविधान पीठ ने उजीत बरुआ बनाम. भारत निर्वाचन आयोग (ऊपर), न्यायालय

एनजी:

" 12. ..... हम यह विचार रखने के लिए तैयार नहीं हैं कि मतदाता सूची तैयार करना भी चुनाव की एक प्रक्रिया है। हम समर्थन पाते हैं लक्ष्मी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में चंद्रचूड़, सी. जे. की टिप्पणियों से हमारा दृष्टिकोण

एस सी आर।

उस दृष्टिकोण के अनुरूप, उस तैयारी और संशोधन को बनाए रखने के लिए निर्वाचक नामावली, अनुच्छेद के अर्थ में 'चुनाव' का एक हिस्सा है

329 (ख) "। एक उपयुक्त मामले में नहीं के लिए मतदाता सूची को चुनौती

कानून की आवश्यकताओं का पालन करने पर विचार किया जा सकता है

पोन्नुस्वामी मामले में संकेतित नियम के अधीन [(1985) 4 एससीसी 689] . लेकिन एक उम्मीदवार का चुनाव चुनौती देने के लिए खुला नहीं है

निर्वाचक नामावली का अंक दोषपूर्ण होना। चुनाव कराएंगे विधायिका के लिए और उन्हें कानून के अनुसार अभिनिर्धारित करना दोनों हैं

सर्वोच्च महत्व के मामले। इस तरह के चुनाव होने चाहिए।

एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भी

संविधान और अधिनियम में। धारा 22 (2) में जोड़ा गया परंतुक

1950 के अधिनियम का उद्देश्य मतदाता सूची को कवर करना है

ऐसी संभावनाओं में जो अन्यथा हस्तक्षेप कर सकती थीं

कार्यक्रम का सुचारू रूप से काम करना। ये हैं कारण

जिसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1979 की मतदाता सूची

दूषित नहीं किया गया था और अमान्य के रूप में हमला करने के लिए खुला नहीं था।"

55. मेघराज कोठारी बनाम। परिसीमन आयोग (ऊपर),

हम परिसीमन आयोग की धारा 8,9 और 10 पर चर्चा करेंगे।

1962 , और अनुच्छेद 329 (ए) में निहित बार निम्नानुसार है:

" इस मामले में हम उस कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं क्योंकि संविधान स्वयं अनुच्छेद 329 (ए) के तहत प्रदान करता है कि

निर्वाचन क्षेत्रों आदि के परिसीमन से संबंधित कोई कानून।

अनुच्छेद 327 के तहत किया गया या किया जाना अभिप्रेत नहीं होगा

किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाया जाए। इसलिए एक आदेश के तहत

धारा 8 या 9 और धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित नहीं होगी

केवल अभिव्यक्ति के उपयोग के कारण बचाया जाएगा "होगा

किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा "। लेकिन अगर

अनुच्छेद 327 के तहत बनाए गए कानून के रूप में माना जाता है, अनुच्छेद 329 कानून की किसी भी अदालत द्वारा किसी भी जांच को रोकें।

(पृष्ठ 408 पर)

XXX XXX XXX

" हमारे विचार में, इसलिए, के परिसीमन पर आपत्ति

निर्वाचन क्षेत्रों पर केवल आयोग द्वारा विचार किया जा सकता था निर्दिष्ट तिथि से पहले। एक बार आदेश देने के बाद

आयोग को धारा 8 और 9 के तहत प्रकाशित किया गया था

भारत का राजपत्र और राज्यों के आधिकारिक राजपत्र में संबंधित, इन मामलों को अब गोवा बनाम के राज्य में फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

कानून की अदालत। ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत अच्छा कारण है

ऐसा प्रावधान। यदि धारा 8 और 9 के तहत आदेश दिए गए हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठाकर अदालत से अदालत। अधिनियम की धारा 10 (2) स्पष्ट रूप से दर्शाती है

विधानमंडल का इरादा है कि धाराओं के तहत आदेश

8 और धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित 9 पर विचार किया जाना था।

कानून के रूप में जिस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना था।

यह सच है कि धारा 8 या 9 के तहत एक आदेश प्रकाशित किया गया है।

धारा 10 (1) संसद के किसी अधिनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी

प्रभाव एक ही होना चाहिए।

(पृष्ठों 4,10,411 पर)

XXX XXX XXX

" तत्काल मामले में धारा 10 (4) का प्रावधान

अधिनियम धारा 8 और 9 के तहत आदेश देता है जैसा कि इसके तहत प्रकाशित किया गया है

धारा 10 (1) उसी गली में जिसके द्वारा बनाया गया कानून

स्वयं संसद जो, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, केवल

अनुच्छेद 327 के तहत किया जाना चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप आपत्ति

कि अधिसूचना को कानून के रूप में नहीं माना जा सकता था प्रभाव दिया गया है "।

(पृष्ठ 415 पर)

56. इस फैसले का पालन ए. एस. एन. में किया गया। महू के निवासी

एम) वी। भारतीय परिसीमन आयोग, (2009) 5 एस. सी. सी. 404, जो

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 और 10 के साथ। अदालत ने

" 35. प्रधान [1995 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 305] में यह अदालत हमारे लिए उत्पन्न हुए किसी भी समान मुद्दे पर विचार नहीं कर रही थी।

वर्तमान मामले में विचार। इस अदालत का यह विचार नहीं था कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावों को एक स्वतंत्र प्रस्ताव के रूप में माना जाना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को निर्धारित करने की आयोग की शक्ति के साथ है।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का संदर्भ। आपत्तियों और/या सुझावों, जैसा भी मामला हो, को पूरे राज्य और परिसीमन के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। एक इकाई के रूप में किसी राज्य के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या।

36. मेघराज कोठारी बनाम। परिसीमन आयोग [(1967) 1 एस. सी. आर. 400] धारा [2021] 2 एस. सी. आर. की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय की एक संविधान पीठ।

8 , 9 और परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10, जो वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, ने कहा:

" 19. इसलिए, हमारे विचार में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आपत्ति केवल आयोग द्वारा ही स्वीकार की जा सकती है। निर्दिष्ट तिथि से पहले। एक बार आयोग द्वारा धारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेश में प्रकाशित किए गए थे

भारत के राजपत्र और संबंधित राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों में, इन मामलों को अब अदालत में फिर से शुरू नहीं किया जा सकता था। इस तरह के प्रावधान के पीछे बहुत अच्छा कारण प्रतीत होता है। यदि धारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेशों को अंतिम नहीं माना जाता है, तो प्रभाव यह होगा कि कोई भी मतदाता, यदि वह चाहता है, तो अनिश्चित काल के लिए चुनाव आयोजित कर सकता है। न्यायालय से न्यायालय तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठाना। अधिनियम की धारा 10 (2) स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को दर्शाती है कि धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित धारा 8 और 9 के तहत आदेशों को कानून के रूप में माना जाना था, जिस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना था।

20. यह सच है कि धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित धारा 8 या 9 के तहत एक आदेश संसद के एक अधिनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव है। वैसा ही होना चाहिए।"

37. संविधान पीठ ने इस हद तक कहा कि: (मेघराज कोठारी मामला [(1967) 1 एससीआर 400]

" 18. अधिनियम की धारा 8 और 9 की जांच से पता चलता है कि उसमें जिन मामलों से निपटा गया था, वे इन प्रावधानों के अधीन नहीं थे:

किसी भी न्यायालय की जांच। .....

***

32. ..... अधिनियम की धारा 10 (4) का प्रावधान धारा 8 और 9 के तहत आदेश देता है जैसा कि धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित किया गया है, उसी सड़क पर संसद द्वारा बनाई गई एक कानून के रूप में, जो केवल अनुच्छेद 327 के तहत किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप आपत्ति।

कि अधिसूचना को कानून के रूप में नहीं माना जाना था, इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

38. वर्तमान मामले में आयोग ने सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतत: मध्य प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का निर्धारण किया।

निर्दिष्ट तिथि से पहले उसके द्वारा प्राप्त किए गए और अपने आदेश भारत के राजपत्र में और राज्य के आधिकारिक राजपत्र में गोवा राज्य V के रूप में प्रकाशित किए गए।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत आवश्यक है। इस प्रकार प्रकाशित आदेश उन्हें "संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान सड़क पर" रखता है।

नतीजतन उस अधिसूचना को कानून के रूप में माना जाना चाहिए और आवश्यक है

प्रभाव दिया जाए "।

57. रामपाकवी रायप्पा बेलगली बनाम। बी. डी. जट्टी, (1970) 3

147 , न्यायालय ने प्रतिनिधित्व की योजना पर विचार किया

अधिनियम, 1950 और अनुच्छेद 329 (ए) के साथ इसका अंतर-संबंध इस प्रकार है:

" 7. ..... 1950 के अधिनियम की पूरी योजना और

इसके प्रावधानों के आयाम से पता चलता है कि एक में की गई प्रविष्टियाँ

उसके द्वारा प्रदान की गई मशीनरी के अनुसार और न कि किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य मंच से पहले जब तक कि कुछ

संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल है

शामिल हैं। .....

8. चुनाव से संबंधित अन्य प्रावधानों में निहित हैं - संविधान का भाग XV। अनुच्छेद 324 से संबंधित है

निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो

चुनाव आयोग में निहित हैं। अनुच्छेद 325 घोषित करता है

कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा

केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर रोल करें।

उन्हें। अनुच्छेद 326 कहता है कि के सदन के लिए चुनाव

राज्य के लोग और विधानसभाएँ चालू होंगी।

वयस्क मताधिकार का आधार। अनुच्छेद 327 को शक्ति प्रदान करता है

संसद चुनाव के संबंध में प्रावधान करेगी -

विधायिकाएँ। अनुच्छेद 329 अदालतों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है।

चुनावी मामले। उस अनुच्छेद के आधार पर कोई चुनाव नहीं होगा।

एक चुनाव याचिका को छोड़कर प्रश्न में बुलाया जाएगा। यह है।

यह बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्रश्न

क्या प्रत्यर्थी 1 आम तौर पर जामखंडी में निवासी था

भौतिक अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र और इसके हकदार थे

मतदाता सूची में पंजीकृत होना विषय नहीं हो सकता है

प्रावधानों के अनुसार को छोड़कर जांच का मामला

1950 के अधिनियम से। जिन आधारों पर चुनाव हो सकता है

अधिनियम के तहत शून्य घोषित किया जाना धारा में निर्धारित किया गया है

100 अधिनियम से। खंड (घ) यह है कि "चुनाव का परिणाम,

जहाँ तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार के बारे में है,

भौतिक रूप से प्रभावित-(2)

... . (((ii))।

..... (iii)

((i)।

((iv) [2021] 2 एस के किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा।

संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधान। इस प्रावधान के दायरे से अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह अदालत को चुनाव याचिका में 1950 के अधिनियम के प्रावधानों या धारा 16 के अपवाद के साथ उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के गैर-अनुपालन के आधार पर किसी भी चुनाव को रद्द करने का अधिकार नहीं देता है।

58. हालांकि, यू. पी. राज्य बनाम. प्रधान संघ क्षेत्र सा सप (2) एस. सी. सी. 305, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने पंचायत के परिसीमन में हस्तक्षेप का वर्णन किया है। अर्नेड, निम्नानुसार:

" 44. यह सरकार को तय करना है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में पंचायत क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस तरह किया जाएगा। यह अदालत का काम नहीं है कि वह यह तय करे कि ऐसा किस तरीके से किया जाएगा। जब तक पंचायत क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप या उनका उल्लंघन किए बिना, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। XXX

45. उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में जो अधिक आपत्तिजनक है वह यह है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 243-0 का खंड (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल उठाने या अनुच्छेद 243-के के तहत बनाए गए या बनाए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन और चुनाव सहित चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। किसी भी पंचायत के लिए, उच्च न्यायालय ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की वैधता और उन्हें सीटों के आवंटन के सवाल पर भी गौर किया है। हम, इस संबंध में, मेघराज कोठारी बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। परिसीमन आयोग [(1967) 1 एससीआर 400]। उस मामले में, परिसीमन आयोग की एक अधिसूचना जिसके तहत एक शहर जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था, को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता को उक्त निर्वाचन क्षेत्र से संसद का उम्मीदवार बनने का अधिकार था

जिसे छीन लिया गया था। इस अदालत ने कहा कि

विवादित अधिसूचना निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या गोवा के ऐसे राज्य को सीटों के आवंटन से संबंधित एक कानून था।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र, और यह कि धारा 8 और 9 की जांच

प्रावधान क्योंकि यदि धारा 8 के तहत किए गए आदेश और 9 अंतिम नहीं माना जाना था, परिणाम यह होगा कि

कोई भी मतदाता अगर चाहे तो चुनाव करा सकता है।

अनिश्चित काल के लिए परिसीमन पर सवाल उठाकर

न्यायालय से न्यायालय तक निर्वाचन क्षेत्र। हालांकि एक आदेश के तहत

परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 8 या धारा 9

और उस अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित संसद के किसी अधिनियम का हिस्सा नहीं है, इसका प्रभाव समान है। उस अधिनियम की धारा 10 (4) इस तरह के आदेश को कानून के समान स्थिति में रखती है।

स्वयं संसद द्वारा बनाया गया जो केवल उसके द्वारा ही बनाया जा सकता था।

अनुच्छेद 327 के तहत। यदि हम अनुच्छेद 327 और धारा 2 (के. के.), 11-एफ के स्थान पर अनुच्छेद 243-सी, 243-के और 243-0 को पढ़ते हैं और

12 - अधिनियम की धारा 8 और 9 के स्थान पर

परिसीमन अधिनियम, 1950, यह स्पष्ट होगा कि न तो

पंचायत क्षेत्र का परिसीमन और न ही उक्त क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और इन क्षेत्रों को सीटों का आवंटन

निर्वाचन क्षेत्रों को चुनौती दी जा सकती थी और न ही अदालत

जमीन को छोड़कर इस तरह की चुनौती का मनोरंजन किया जा सकता था

आयोजित करने के लिए अधिसूचना के बाद मनोरंजन किया गया चुनाव घोषित किए गए। उच्च न्यायालय ने न केवल मनोरंजन किया

चुनौती लेकिन कथित के गुणों में भी चला गया है

शिकायतें हालांकि चुनौती के बाद की गई थी

चुनाव के लिए अधिसूचना 31-8-1994 पर जारी की गई थी।

59. अनुग्रह नारायण सिंह बनाम में निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य, 5) 6 एस. सी. सी. 303 इस मायने में शिक्षाप्रद है कि यह एक स्थानीय कानून से संबंधित है। पी. नगर महा पालिका अधिनियम, 1959, उस अधिनियम के तहत आदेशों को चुनौती देने के संदर्भ में। मेघराज के मामले को अलग किया गया थाहम इस प्रकार हैं:

" 24. वार्डों के परिसीमन से संबंधित उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 6-ए, 31,32 और 33 की वैधता पर संविधान के अनुच्छेद 243-जेडजी द्वारा लगाए गए स्पष्ट प्रतिबंध के कारण अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। धारा 7 में [2021] 2 एस. सी. आर. को सीटों के आवंटन के नियम हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग। उस धारा की वैधता को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, तत्काल मामले में, जब वार्डों का परिसीमन किया गया था, तो इस तरह के परिसीमन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई थी कि

शक्ति का रंगीन प्रयोग या किसी अन्य आधार पर

मनमानी। इस तरह की कोई भी चुनौती मसौदा आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद राजपत्र में अंतिम आदेश प्रकाशित होते ही दी जानी चाहिए थी, न कि चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने के बाद। जैसा कि लक्ष्मी चरण सेन मामले [(1985) 4 एस. सी. सी. 689] में बताया गया था कि यह तथ्य कि अंतिम आदेश पारित होने से पहले कुछ दावों और आपत्तियों का निपटारा नहीं किया गया था, चुनाव की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता है। 25. इस संबंध में, यह उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है कि परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 में एक विशेषता पाई जाती है जो यू. पी. अधिनियम में अनुपस्थित है। 1962 के अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि आयोग धारा 8 और 9 के तहत किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबंधित राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इस तरह के प्रत्येक आदेश पर कानून का बल होगा और किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

परिसीमन के इन विशिष्ट प्रावधानों के कारण

आयोग अधिनियम, 1962, मेघराज कोठारी बनाम के मामले में। परिसीमन आयोग [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 669], इस अदालत ने माना कि उस अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत पारित आदेशों की अधिसूचना में कानून का बल था और इसलिए, अनुच्छेद 329 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण किसी भी अदालत में उन पर हमला नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, 1959 के उत्तर प्रदेश अधिनियम में केवल यह प्रावधान है कि नगरपालिका क्षेत्रों के परिसीमन का मसौदा आदेश कम से कम सात दिनों की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

मसौदा आदेश को सुनने के बाद बदला या संशोधित किया जा सकता है

दायर की गई आपत्तियाँ, यदि कोई हों। इसके बाद यह अंतिम हो जाएगा। करता है।

यह नहीं कहा गया है कि इस तरह के आदेश को अंतिम रूप देने पर कानून की शक्ति होगी और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

इस कारण से, यह कहना संभव नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 32 के तहत दिए गए इस तरह के आदेश में कानून की शक्ति है और यह अनुच्छेद 243-जेडजी के आधार पर चुनौती से परे है। लेकिन इस तरह की कोई भी चुनौती अंतिम आदेश प्रकाशित होने के तुरंत बाद दी जानी चाहिए।

60. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम। टी. एन. राज्य (ऊपर), न्यायालय ने कुछ अंतर्वर्ती आवेदनों पर विचार किया जो गोवा राज्य बनाम दायर किए गए थे।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

संवैधानिक जनादेश के अनुपालन के लिए एनजी निर्देश

स्थानीय निकायों के चुनाव। इस न्यायालय ने दलीलों पर विचार किया

घ इसके समक्ष पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार:

12-2019 , तमिलनाडु राज्य ने जिलों की संख्या 31 से बढ़ाकर 39 कर दी और विभिन्न तालुकों का भी पुनर्गठन किया। लेकिन जिला पंचायत परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के संबंध में अभी भी केवल 31 पदों के लिए चुनाव कराने की मांग की जाती है। इस परिणामी विसंगति ने अपीलार्थियों को प्रेरित किया है इन आवेदनों को प्रार्थना के साथ दाखिल करने के लिए

अधिसूचना दिनांक 2-12-2019; सभी 39 राजस्व जिलों सहित पूरे राज्य के लिए चुनाव आयोजित करें; और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही ऐसे स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करें। नवनिर्मित जिलों के परिसीमन के बाद। एक विशिष्ट निर्देश के लिए भी प्रार्थना की गई है, ताकि उत्तरदाताओं को किसी भी चुनाव को अधिसूचित करने या आयोजित करने से पहले परिसीमन, आरक्षण, आवर्तन प्रक्रियाओं को पूरा करने और अन्य सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके।

गाँव, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर पंचायत।

11. एक में पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद

विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ संवैधानिक योजना के व्यापक और गहन विश्लेषण के बाद

भाग IX, जिसमें जमीनी स्तर के प्रशासन के लोकतंत्रीकरण की परिकल्पना की गई है, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 243-बी के अनुसार किसी राज्य में पंचायतों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर। अनुच्छेद 243-सी राज्य से, जहां तक व्यवहार्य है, दोनों के बीच समान अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा करता है।

राज्य की सभी पंचायतों में किसी विशेष पंचायत के क्षेत्र के भीतर रहने वाली आबादी और उसे आवंटित सीटों की संख्या। इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 243-डी के अनुसार, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

प्रत्येक पंचायत में जनजातियाँ। 12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भाग IX का संवैधानिक उद्देश्य नहीं हो सकता है।

प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि परिसीमन अभ्यास के लिए

सभी स्तरों पर स्थानीय निकायों का गठन ठीक से किया जाता है। तमिलनाडु राज्य में इस तरह की कवायद को तमिलनाडु स्थानीय निकाय परिसीमन विनियम, 2017 ([2021] 2 एस. सी. आर. के तहत तैयार किए गए) के तहत निर्धारित वार्डों के परिसीमन के मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए।

तमिलनाडु परिसीमन आयोग अधिनियम, 2017), जो मानदंड स्वयं संविधान के अनुच्छेद 243 बी (1) के साथ पठित अनुच्छेद 243-सी के विपरीत नहीं होना चाहिए। 13. यह देखते हुए कि कैसे परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर केवल 31 राजस्व जिले थे, लेकिन बाद में जिलों की संख्या बढ़कर 39 होने के बावजूद, कोई नया परिसीमन अभ्यास नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वनों से आच्छादित संवैधानिक जनादेश को पूरा नहीं कर सकती है। जनसंख्या अनुपात को स्पष्ट करने वाला कोई चिन्हित डेटा नहीं है और इसलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवश्यक आरक्षण दोनों ग्राम पंचायत वार्डों या जिला निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया

2-12-2019 पर, नवगठित नौ जिलों के संबंध में तब तक आयोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके संबंध में नए परिसीमन की कवायद पहले पूरी नहीं हो जाती। राज्य सरकार इस पर भरोसा करके इन नौ जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव कराने को उचित नहीं ठहरा सकती। न्यायालय का आदेश दिनांक 18-11-2019 [सी. आर. जयसुकिन बनाम। टी. एन. राज्य चुनाव आयोग, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1664] जैसा कि उक्त आदेश स्वयं "सभी कानूनी औपचारिकताओं" को पूरा करने के बाद ही चुनावों की अधिसूचना को अनिवार्य करता है।

14. प्रत्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान कार्यवाही

यह "एक चुनाव पर सवाल उठाने" के बराबर है और इसलिए अनुच्छेद 243-0 और 243-ZG के स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबंधों को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है जो वर्तमान में हमें प्रभावित नहीं करता है।

कार्यवाही केवल निष्पक्ष चुनाव की पूर्व शर्तों को तेजी से पूरा करने के लिए होती है। इसलिए, भारत के चुनाव आयोग में एक समन्वय पीठ का निम्नलिखित अनुपात v. अशोक

कुमार, (2000) 8 एस. सी. सी. 216 वर्तमान मामले पर स्पष्ट रूप से लागू होता है:

" 32 ..... (2) माँगा गया और दिया गया कोई भी निर्णय "चुनाव पर सवाल उठाने" के बराबर नहीं होगा यदि यह चुनाव की प्रगति को कम करता है और चुनाव को पूरा करने में मदद करता है। चुनाव की कार्यवाही को पूरा करने या आगे बढ़ाने के लिए किए गए किसी भी काम को चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के अधीन, चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश अच्छी तरह से तय किए गए मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं जो निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं।

फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

वैधानिक निकायों जैसे कि दुर्भावनापूर्ण या शक्ति के मनमाने प्रयोग के मामले में या वैधानिक निकाय को कानून के उल्लंघन में कार्य करते हुए दिखाया गया है।

(4) प्रगति को बाधित, बाधित या विलंबित किए बिना

निर्वाचन कार्यवाहियों में न्यायिक हस्तक्षेप तब उपलब्ध होता है जब न्यायालय की सहायता केवल निर्वाचन कार्यवाहियों की प्रगति को सुधारने या सुचारू बनाने के लिए, उसमें बाधाओं को दूर करने के लिए, या किसी महत्वपूर्ण साक्षय को संरक्षित करने के लिए मांगी गई हो, यदि परिणाम घोषित होने तक वह खो जाता है या नष्ट हो जाता है या अपरिवर्तनीय हो जाता है और आह्वान के लिए चरण निर्धारित किया जाता है। न्यायालय की अधिकारिता "।

61. तदनुसार, परिसीमन आयोग सहित उत्तरदाताओं को नवगठित 9 का परिसीमन करने का आदेश जारी किया गया था

जिले कानून के अनुसार और उसके बाद ही 4 महीने की अवधि के भीतर गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अपनी पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित करते हैं।

62. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने हमें यह मानने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह निर्णय इस अदालत के पहले के फैसलों के विपरीत है। हम इस फैसले में इस अदालत के पहले के फैसलों के विपरीत कुछ भी नहीं पाते हैं। इसके विपरीत, न्यायालय अशोक कुमार के मामले (ऊपर) में अनुपात निकालता है और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करता है। 63. नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में उपरोक्त निर्णयों को देखने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 243 जेडजी (बी) के तहत, किसी भी नगरपालिका के लिए कोई चुनाव नहीं

आई.

किसी न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न में बुलाया जा सकता है जैसा कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक अनुच्छेद 243 जेड. जी. में निहित गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा न्यायिक हाथ धोना अनिवार्य है, जो अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट अदालत को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप करने से रोकता है। संवैधानिक बार केवल इस अवधि के दौरान काम करता है। इसलिए यह एक रिट अदालत द्वारा विवेकाधिकार का मामला है कि क्या चुनावी प्रक्रिया "आसन्न" होने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यानी, चुनावों के लिए अधिसूचना की घोषणा की जानी बाकी है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि, तथापि, एक रिट न्यायालय की सहायता की आवश्यकता है

II.

चुनाव की प्रगति को बनाए रखते हुए और इसे पूरा करने में सुविधा प्रदान करते हुए, रिट अदालत आदेश जारी कर सकती है बशर्ते कि एक बार शुरू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को स्थगित या स्थगित नहीं किया जा सकता है।

किसी भी तरह से लंबा।

III. चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा अपने समक्ष किसी चुनाव विवाद का फैसला करने के बाद अनुच्छेद 243 जेडजी में निहित गैर-बाध्यकारी खंड एक अवरोधक के रूप में काम नहीं करता है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित नहीं होती है क्योंकि अनुच्छेद 243ZG में गैर-अबाधित खंड केवल चुनाव की प्रक्रिया के दौरान काम करता है।

अनुच्छेद 243ZA (1) के तहत, SEC समग्र रूप से प्रभारी है

IV.

निर्वाचक नामावली तैयार करने का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण और सभी नगरपालिका चुनावों का संचालन। यदि किसी के द्वारा संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन किया गया है।

संविधान या विधायी अधिनियम का पालन करने या ऐसे प्राधिकरण को किसी ऐसे आदेश को सही करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार जो संवैधानिक या वैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है। इस उद्देश्य के लिए, यह इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए एक रिट अदालत से भी संपर्क कर सकता है। यह पूरी तरह से एस. ई. सी. पर निर्भर करता है कि वह चुनाव प्रक्रिया को गति प्रदान करे या ऐसे मामलों में जहां संवैधानिक या इस तरह की अवैध कार्रवाई का निवारण होने तक चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए वैधानिक प्रावधान का पालन या उल्लंघन नहीं किया जाता है। यह एस. ई. सी. एक कार्यकाल से पहले चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए करेगा।

नगरपालिका या नगरपालिका परिषद समाप्त हो गई है। असाधारण मामलों में, एस. ई. सी. इस तरह के कार्यकाल के बाद चुनाव करा सकता है

केवल अच्छे कारण के लिए।

वी.

राज्य चुनाव आयोग के आदेश की न्यायिक समीक्षा है

प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा के आधार पर उपलब्ध। यहाँ फिर से, रिट अदालत को चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए और या तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले या ऐसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हस्तक्षेप करना चाहिए, जब तक कि इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करना कम और सुविधाजनक न हो।

चुनाव की प्रगति।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

आई.

अनुच्छेद 243ZA (2) यह स्पष्ट करता है कि द्वारा बनाया गया कानून किसी राज्य का विधानमंडल, जिसके संबंध में प्रावधान करता है -

चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले नगरपालिकाएं, संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं, और विशेष रूप से अनुच्छेद 243 टी, जो सीटों के आरक्षण से संबंधित है।

II. अनुच्छेद 243 जेड. जी. (ए) में निहित अवरोधक आदेश देता है कि परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल उठाने के लिए रिट अदालत या किसी भी अदालत का न्यायिक हाथ होना चाहिए।

अनुच्छेद 243ZA के तहत बनाए गए या किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र या सीटों का आवंटन। इसके द्वारा

अनुच्छेद 243ZG में निहित गैर-अबाधित खंड का गुण। परिसीमन से संबंधित वैधानिक प्रावधान और

इसलिए सीटों के आवंटन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अदालत। हालाँकि, ऐसे वैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए आदेशों पर अदालतों में सवाल उठाए जा सकते हैं बशर्ते कि संबंधित क़ानून ऐसे आदेशों को वैधानिक प्रावधान का दर्जा न दे।

III. परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित आदेशों को कोई भी चुनौती, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से चुनौती दी जाएगी और

ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन।

X. अनुच्छेद 243ZG (a) का संवैधानिक प्रतिबंध केवल इन पर लागू होता है -

अदालतें, न कि राज्य चुनाव आयोग, जो मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिकाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

इस स्थिति का परिणाम यह है कि एस. ई. सी. का कर्तव्य है कि वह किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए अवैध आदेशों को रद्द करे। राज्य सरकार जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करती है या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटें आवंटित करती है, जैसा कि उपरोक्त प्रस्ताव (IV) में प्रावधान किया गया है। यह एस. ई. सी. द्वारा अपनी संवैधानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किया जा सकता है।

कर्तव्य जैसा कि उक्त प्रस्ताव में वर्णित है।

4. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करते हुए, ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि इसमें निहित संवैधानिक बाधा243 जेडजी (ए) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। जैसा कि श्री लाउड ने सही कहा है, अनुग्रह नारायण सिंह [2021] 2 एस. सी. आर. में निर्णय।

बशर्ते कि परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त हो। यह मामला होने के कारण, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सामने रखी गई पहली और सबसे महत्वपूर्ण बाधा को दूर कर दिया गया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी भी संवैधानिक बाधा की अनदेखी करने में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है कि 04.02.2021 आदेश अवैध है और गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 और 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T के प्रावधानों के विपरीत है। उस पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कोई तर्क नहीं दिया कि महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण संविधान और गोवा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था। वास्तव में, अन्यथा भी, हम डिवीजन बेंच के फैसले में इस निष्कर्ष में कोई गलती नहीं पाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243 टी की अनिवार्य भाषा को देखते हुए, जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है, जो एक तिहाई से कम नहीं होगी, एक अंश को ऊपर की ओर काम करना होगा। इसके अलावा, ओ. बी. सी. आरक्षण पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को धारा 9 (2) (बी. बी.) के जनादेश का पालन नहीं करने में दोष नहीं दिया जा सकता है कि कई परिषदों में यह 27 प्रतिशत से कम था। 1 एसटी सीट पर की गई टिप्पणियों के लिए भी यही बात लागू होती है।

गति और घूर्णन के सिद्धांत का गैर-अनुप्रयोग।

65. हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि श्री तुषार मेहता का यह कहना सही है कि महाधिवक्ता द्वारा दिया गया आश्वासन कि

राज्य सरकार अनुच्छेद 243 जेडजी (बी) के प्रतिबंध को नहीं उठाएगी, बल्कि इसके बजाय तर्क देगी कि चूंकि चुनाव कार्यक्रम "आसन्न" था और इसलिए, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कानून में स्थिति को नहीं बदल सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वकील द्वारा कोई भी रियायत संवैधानिक प्रतिबंध के खिलाफ काम नहीं कर सकती है।

66. हालाँकि, इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर, यह न्यायालय अनुच्छेद के तहत विवादित फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए विवश है। 136 भारत का संविधान। ऐसा इन मामलों के तथ्यों की निम्नलिखित विशेष विशेषताओं के कारण है:

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य चुनाव आयुक्त कोई और नहीं बल्कि गोवा सरकार के विधि सचिव हैं। इसलिए इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया शुरू में ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि एसईसी, इन मामलों के तथ्यों में, एक स्वतंत्र निकाय नहीं है।

जैसा कि अनुच्छेद 243 के द्वारा अनिवार्य है।

गोवा राज्य बनाम। फौजिया इम्तियाज शेख [आर. एफ. नरीमन, जे]

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एस. ई. सी. ने स्वयं पूरे राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण दो बार नगरपालिका चुनावों को स्थगित कर दिया था। दूसरे अवसर पर, दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा, एस. ई. सी. ने स्वयं इन चुनावों को अप्रैल 2021 या चुनाव की तारीख तक स्थगित कर दिया था जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जाहिर है, अभिव्यक्ति "या चुनाव की तारीख जो आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है" एक तारीख का संकेत देगी। अप्रैल, 2021 के बाद, उस स्थिति को देखते हुए जिसमें राज्य

गोवा खुद को कोविड-19 महामारी के कारण पाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय अपने निर्देश में

ज्ञानेश्वर नारसो नाइक के मामले में (ऊपर) और सुजय एस. लोटलिकर के मामले में (ऊपर), महाधिवक्ता द्वारा गंभीर आश्वासन दिया गया था कि नगर परिषदों के वार्डों में आरक्षण के आदेश चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम से कम तीन सप्ताह पहले दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन बयानों पर कार्रवाई करने के बजाय, संविधान की धारा 10 में एक परंतुक जोड़कर एक संशोधन किया।

गोवा नगरपालिका अधिनियम जिसमें कम अवधि का उल्लेख किया गया था, यानी कम से कम एक सप्ताह की अवधि।

विधि सचिव का दिनांकित 05.02.2021 का पत्र, जिसमें आह्वान किया गया है

निदेशक, शहरी विकास, गोवा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के तहत आरक्षण आदेश जारी करने के लिए था

वर्तमान मामलों में सभी रिट याचिकाएं 9 से 12 फरवरी, 2021 के बीच दायर की गई थीं, जिसमें निदेशक के दिनांक 04.02.2021 के आदेश को तुरंत चुनौती दी गई थी। इनमें से किसी भी रिट याचिका में ऐसी प्रार्थना नहीं थी जो किसी भी चुनाव कार्यक्रम को रोक सके। एकमात्र प्रार्थना यह थी कि उसे मार दिया जाए उपरोक्त आदेश ताकि निदेशक को एक नया आदेश जारी करने में संवैधानिक [2021] 2 एस. सी. आर. का सही मायने में और ईमानदारी से पालन करना पड़े।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी का अधिदेश और

गोवा की धारा 9 में निहित वैधानिक अधिदेश

नगरपालिका अधिनियम।

(vi) जब उच्च न्यायालय ने अंतिम के लिए 15.02.2021 पर नोटिस जारी किया

22.02.2021 पर सुनवाई करते हुए, SEC ने उच्च न्यायालय को सूचित नहीं किया

न्यायालय ने 05.02.2021 के एक नोट के माध्यम से (इस न्यायालय में 08.03.2021 पर दायर एक हलफनामे द्वारा पहली बार खुलासा किया गया), चुनाव 20.03.2021 पर आयोजित करने का प्रस्ताव था।

(vii) उच्च न्यायालय तक पहुँचने के स्पष्ट प्रयास में, राज्य

चुनाव आयुक्त, जो कानून के अलावा और कोई नहीं हैं गोवा राज्य के सचिव, 9 बजे एक चुनाव अधिसूचना जारी करते हैं: 00 सरकारी कार्यालयों के 9 बजे खुलने से पहले ही 22.02.2021 पर सुबह: 30 ए. एम. की सुनवाई को रोकने के लिए

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएँ, जो रिट याचिकाओं की सुनवाई सुबह 9 बजे शुरू होती है

(viii) डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद

01.03.2021 पर उच्च न्यायालय का और कोई रोक नहीं दी गई, यह

अदालत ने 04.03.2021 पर "नोटिस जारी किया" और रोक लगा दी विवादित निर्णय, जिसका प्रभाव चुनाव कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना था जिसे 22.02.2021 पर अधिसूचित किया गया था। इसके बावजूद, राज्य चुनाव आयोग, आज ही के दिन,

04.03.2021 , विस्तारित करके उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन किया गया

5 नगरपालिकाओं के लिए नामांकन दाखिल करने की समय अवधि

04.03.2021 से 06.03.2021 तक 10 के बीच परिषद: 00 घंटे

13 तक: 00 घंटे। और इसलिए, चुनाव को पुनर्निर्धारित किया गया।

1 1 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तिरछे या अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ राज्य के कार्यों को "कानून में द्वेष" के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कलाभारती विज्ञापन बनाम में यह न्यायालय। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य (2010) 9 एस. सी. सी. 437 ने इसका सारांश इस प्रकार दिया है: 25. राज्य बिना किसी दुर्भावना या द्वेष के निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है-वास्तव में या

कानून "। कानूनी द्वेष "या" कानून में द्वेष "का अर्थ है कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ। यह एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया है, और जरूरी नहीं कि यह एक ऐसा कार्य है जो बुरी भावना और बावजूद के किया गया हो। यह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा में जानबूझकर किया गया कार्य है। जहाँ द्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या बावजूद का मामला नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे एक तिरछी या अप्रत्यक्ष वस्तु के साथ लिया जाता है। इसका अर्थ है "उन विदेशी उद्देश्यों के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है"। इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के प्रति कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव, जो इरादे इसके हानिकारक कार्यों से प्रकट होते हैं। (वीडियो ए. डी. एम., जबलपुर वी. शिवकांत शुक्ला [(1976) 2 एस. सी. सी. 521], एस. आर. वेंकटरमण बनाम। भारत संघ [(1979) 2 एस. सी. सी. 491], ए. पी. राज्य बनाम। गोवर्धनलाल पिट्टी [(2003) 4 एस. सी. सी. 739], बी. पी. एल. लिमिटेड बनाम। एस. पी. गुरुराजा [(2003) 8 एस. सी. सी. 567] और डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी. बनाम। दिलीप कुमार रे [(2007) 14 एस. सी. सी. 568] "स्टेट ऑफ गोवा बनाम।

परिवर्तन होता है। पैराग्राफ 81 (सी) में, यह स्पष्ट किया गया है कि 10 दिनों की अवधि जिसमें निदेशक, शहरी विकास को एक नया आदेश जारी करना है, इस फैसले की तारीख से 10 दिन होगी। साथ ही, पैराग्राफ 81 (ई) में आने वाले "15 अप्रैल" के बजाय, "30 अप्रैल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। सभी अन्य दिशाएँ निर्बाध रहेंगी।

68. इन मामलों की सबसे परेशान करने वाली विशेषता भारत के संविधान के अनुच्छेद 243के में निहित संवैधानिक जनादेश का विध्वंस है। राज्य चुनाव आयुक्त को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वह राज्य सरकार से स्वतंत्र है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है जो राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं में पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। को दिया गया महत्व

राज्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता अनुच्छेद 243के के खंड (2) के परंतुक में किए गए अपने पद से हटाने के प्रावधान से स्पष्ट है। जहाँ तक उसे हटाने का तरीका और आधार है

किसी भी अन्य राज्य में आयुक्त, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे पद से तुरंत हटने के लिए कहा जाना चाहिए और संबंधित राज्य सरकार इस उच्च संवैधानिक पद पर केवल स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त करके अनुच्छेद 243के के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए बाध्य होगी। दिशा-निर्देश इस पैराग्राफ में निहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग के संवैधानिक जनादेश का भविष्य में सख्ती से पालन किया जाए जो संविधान के भाग IX और IXA के तहत चुनाव कराना है।

एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

69. अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

लेखन याचिका (सिविल) सं. 309/2021

1. यह रिट याचिका मडगांव, गोवा के एक निवासी द्वारा भारत के शीर्षक के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें चुनौती दी गई है।

नगर निगम, गोवा के निदेशक द्वारा जारी 04.02.2021 दिनांकित राशन आदेश और 04.03.2021 दिनांकित अधिसूचना, जिसमें गोवा एस. ई. सी. द्वारा चुनावों की मूल अनुसूची में बदलाव किया गया है।
2. उपरोक्त अपीलों में हमारे फैसले को देखते हुए, दिनांकित 04.02.2021 के नए आरक्षण आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करना होगा, रिट याचिका

एड और दिनांकित 04.03.2021 अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया है।

अपीलों का निपटारा किया गया और

याचिका दायर की गई

ऐन।